सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

फरवरी 2024 वर्ष 22 अंक 12

मानवता की आवश्यकता

भारत वर्ष एक महान देश है इसकी भूमि में प्राचीनकाल से आपसी प्रेम, सद्भाव का बहुत महत्व रहा है, इस महान देश की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस समय ''मानवता के संदेश'' को हर नगर गाँव तथा जन–जन तक पहुँचाने की नितांत आवश्यकता है।

(हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताहा अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुरआन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
अल्लाह की पुकार	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	12
नौजवान लड़कियों में शादी न करने	डॉ मुहम्मद रजीउल इस्लाम नदवी	14
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	17
इस्लाम आतंक नहीं अनुसरणीय	स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य	19
बहुत देर कर दी मेहरबाँ आते आते	इं0 जावेद इक़बाल	24
कारोबार में ईमानदारी	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	26
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	27
शाबान, रमज़ान की प्लानिंग	जमाल अहमद नदवी	29
अल्लाह अल्लाह किया करो (पद्य)	ताबिश मेंहदी प्रतापगढ़ी	32
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	33
जहेज़ एक विनाशकारी प्रथा	इदारा	34
जीवन के अंधियारे पथ में (पद्य)	इदारा	36
अंतरिक्ष यान ''पार्कर''	इदारा	37
फिलिसतीनियों की दृढ़ता	मुहम्मद जमील अख़तर नदवी	38
स्वास्थ्य	डॉ0 शिल्पी त्रिपाठी	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अहले ख़ैर हज़रात से	इदारा	42

कुरआन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूरः-ए-यूसुफ़ः-

अनुवादः—

फिर जब वे उनको लेकर गये और सबने तय कर ही लिया था कि उनको गहरे कुँवें में डाल देंगे (बस उन्होंने वह काम कर डाला) और हमने (यूसुफ़ को) बता दिया कि (एक समय आयेगा कि) तुम उनको उनका यह काम जतलाओगे और उस समय वे जानते भी न होंगे[1](15) और रात को वे अपने पिता के पास रोते हुए आए(16) कहने लगे कि ऐ हमारे पिता जी! हम दौड़ का मुक़ाबला करने में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गये ''बस उसे भेड़िया खा गया'' और आपको हमारी बात का विश्वास तो होने का नहीं चाहे हम सच्चे ही हों(17) और वे उनके कुर्ते पर झूठ—मूठ का ख़ून भी लगा लाए[5] उन्होंने कहा (नहीं) बल्कि तुमने अपनी ओर से एक बात बना ली है तो अब सब्र ही बेहतर है और जो तुम बताते हो उस पर मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ(18) और एक क़ाफ़िला आ निकला तो उन्होंने अपना पनिहारा भेजा उसने कुँवें में डोल डाला (खींचा तो) बोल उठा अरे वाह! यह तो बच्चा है और उसको उन्होंने व्यापार का माल के रूप में छिपा लिया और अल्लाह उनके सब कामों को खूब जान[3] रहा था(19) और उसको उन्होंने औने—पौने कुछ दिरहमों मं बेच डाला और उसमें उनको कोई रूचि न थी(20) और मिस्र में जिसने उसको ख़रीदा उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसको सम्मान के साथ रखना शायद इससे हमें फ़ायदा पहुँचे या हम उसको बेटा ही बना लें और इस तरह हमने यूसुफ़ को देश में शक्ति प्रदान की और ताकि हम उनको बातों की वास्तविकता सिखा दें और अल्लाह अपने काम पर पूरा नियंत्रण रखता है लेकिन अधिकतर लोग जानते नहीं(21) और जब उनकी आयु परिपक्व हो गई तो हमने उनको राज्य और ज्ञान से सम्मानित किया और हम अच्छा काम करने वालों को यूँ ही बदला दिया करते हैं[4](22) और जिसके घर में वे थे उस औरत ने उनको उनकी काम—वासना के बारे में बहकाया और दरवाजे बन्द कर दिये और बोली कि बस अब आ भी जाओ, उन्होंने कहा कि अल्लाह की पनाह! वे तो मेरे मालिक हैं उन्होंने मुझे सम्मान के साथ रखा बेशक अत्याचारी सफल नहीं हो सकते[5](23) और उस औरत ने उनका इरादा कर ही लिया था और वह भी इरादा कर लेते अगर उन्होंने अपने पालनहार का प्रमाण न देख लिया होता, यूं ही हुआ, ताकि हम उनसे बुराई और बेहयाई को दूर ही रखें बेशक वे हमारे चुने हुए बन्दों में थे(24) और वे दोनों दरवाज़े की ओर दौड़े और उस औरत ने उनके कुर्ते को पीछे से फाड़ दिया और दरवाज़े पर ही उन दोनों का औरत के पति से सामना हुआ वह बोली जो आपकी घर वाली के साथ बुरा इरादा करे उसकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि या तो वह क़ैद कर दिया जाए या कठोर दण्ड दिया जाए[6](25) यूसुफ़ ने कहा कि खुद इसी ने मुझे मेरे काम—वासना

के बारे में बहकाया और खुद उसके परिवार के एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि अगर उनका कुर्ता सामने से फटा है तो औरत सच्ची है और यह झूठे हैं(26) और अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत ने झूठ बोला और यह सच्चे हैं(27) फिर जब उन्होंने कहा कि यह तुम औरतों की मक्कारियाँ हैं निश्चित रूप से तुम्हारी मक्कारियाँ मामूली नहीं हैं(28) यूसुफ़! इसको छोड़ो और ऐ औरत! तुम अपने पाप की माफ़ी मांगो, ग़लती तुम्हारी ही है(29) और शहर की औरतों की ज़बानें खुल गईं कि मिस्र के अज़ीज़ की पत्नी अपने सेवक से काम–वासना की इच्छा करती है, वह उसके प्रेम में दीवानी हो गई है, हम तो देखते हैं कि वह साफ़– साफ़ बहक गई है(30)।

तफ़सीर (व्याख्या):–

1. आगे आयतों में यह बात प्रमाणित होगी कि भाई किस प्रकार उनके पास पहुँचे और उनको पहचान ही न सके, फिर यूसुफ़ अलै0 ने ही उनको बताया।

2. पैग़म्बरों की संतान थे, धोखा किया वह भी सफल न हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलै0 का कुर्ता उतार कर जानवर का खून उसमें लगा कर ले आए थे, कुर्ता बिल्कुल ठीक–ठाक था, हज़रत याकूब देखते ही समझ गये कि इसमें कोई चाल है, मगर सब्र के अलावा और कोई चारा ही न था।

3. कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलै0 दो तीन दिन कुंवे में रहे, उनके बड़े भाई यहूदा हर दिन चुपके से खाना पहुंचाते रहे कि मरने न पाएं और कोई काफ़िला वाला गुज़रे तो गुलाम समझ कर ले जाए और वही हुआ, उनका उद्देश्य भी उनको बाप की नज़रों से ओझल करना था।

4. भाइयों ने उनको गिराना चाहा अल्लाह ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया, अधिकतर लोग नज़र छोटी होने के कारण नहीं देख पाते कि किस प्रकार अल्लाह की व्यवस्था सबसे आगे हो जाती है।

5.अज़ीज़–ए–मिस्र की पत्नी जिसका नाम "जुलैख़ा" बताया जाता है उन पर दीवानी हो गई, हज़रत यूसुफ़ अलै0 उसी के घर में गुलाम थे बचना कितना कठिन था उसकी ओर संकेत है।

6. जब उसने बुराई के लिए बुलाया तो हज़रत यूसुफ़ अलै0 ने अज़ीज़–ए–मिस्र का हवाला दिया कि उसने जो शुरु में कहा था वही किया, सम्मान से रखा, यह कैसा अत्याचार है कि उसके साथ विश्वासघात किया जाए, मगर वह पीछे पड़ गई, हज़रत यूसुफ़ अलै0 भी खतरा महसूस करने लगे, बस अल्लाह की ओर से पाप की बुराई एक प्रमाण के रूप में सामने आई, कुछ लोगों ने कहा कि अचानक हज़रत याकूब का चेहरा अल्लाह की ओर से सामने कर दिया गया बस भागे, उसने पीछे से दामन पकड़ लिया, वह फट गया, किसी तरह बाहर निकले तो अज़ीज़–ए–मिस्र दरवाज़े पर मौजूद था, औरत ने बात बनाने के लिए सब कुछ यूसुफ़ अलै0 पर डाल दिया, मगर खुदा का करना कि खुद औरत के एक निकट संबंधी ने सच्चे झूठे होने की जो पहचान बताई उसने औरत ही को झूठा क़रार दिया, अज़ीज़–ए–मिस्र उस पर गुस्सा हुआ और बात फैल गई, शहर में इसकी चर्चा हुई कि रानी अपने गुलाम पर फिदा हो गई है, कुछ किताबों में है कि गवाही देने वाला दुध मुँहा बच्चा था, अल्लाह ने उसको बोलने की शक्ति प्रदान की, इस चमत्कारी गवाही के कारण सबको औरत के झूठे होने का विश्वास हो गया।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

औरतों के साथ अच्छा सुलूक करने का बयान

अल्लाह का फरमान है:—

अनुवादः—

और उनके साथ अच्छी तरह रहो—सहो, अगर वह तुमको नापसन्द हों तो भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को ना पसन्द करो और खुदा उसमें बहुत सारी भलाईयाँ पैदा कर दे।

(सूरः निसा—19)

और फरमान है—

अनुवादः—

और वह तुम्हारे लिए पोशाक हैं और तुम उनके लिए पोशाक हो। (सूरः बकरः 187)

और फरमान है—

अनुवादः—

और तुम कितना ही चाह लो, औरतों में कभी भी बराबरी नहीं कर सकोगे, तो ऐसा भी न करना कि एक ही तरफ तुम्हारा झुकाव हो जाए और दूसरी को बिल्कुल लटकती हुई छोड़ दो।

(सूरः निसा—129)

औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्ल0 की वसीयतः—

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूं, तुम इस वसीयत को कुबूल कर लो। औरत पस्ली की हड्डी से पैदा की गई है, और पस्ली में सबसे टेढ़ा उसके ऊपर का हिस्सा है, अगर सीधा करने लगोगे तो तोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो टेढ़ी ही रहेगी, इसलिए इनके साथ भलाई और अच्छे सुलूक की नसीहत कुबूल करो।

(बुखारी व मुस्लिम)

अच्छी और बहुत बड़ी दौलतः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल—आस रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः दुनिया कुछ दिन काम आने वाली ज़िन्दगी का एक सामान है और इसका सबसे बेहतर सामान अच्छी औरत है। (मुस्लिम)

हर एक का हक अदा करना ज़रूरी हैः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल—आस रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः अब्दुल्लाह! क्या मुझे नहीं बताया गया कि तुम दिन को रोजा रखते हो और रात को नफ़्ल नमाज़ों में व्यस्त रहते हो। मैंने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0! आप सल्ल0 ने फरमायाः ऐसा न करो, कभी रोज़ा रखो, कभी न रखो, रात का कुछ हिस्सा नफ़्लों में गुज़ारो फिर सो जाओ, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। (बुखारी)

अच्छाई पर नज़र रखे और बुराई की अन्देखी कर देः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः कोई ईमान वाला आदमी किसी ईमान वाली औरत से नाराज़ न हो, अगर उसकी कोई बात उसे नापसन्द होगी तो दूसरी बात पसन्द आएगी। (मुस्लिम)

औरत का सम्मान—इज़्ज़तः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल0 सल्ल0 ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी को गुलाम की तरह न पीटे, फिर वह रात के आखिरी हिस्से में उसके पास जाए। (बुखारी)

पत्नियों के बीच इन्साफ़ न करने पर सज़ाः—

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया जिसकी दो बीवियाँ हों और वह उन

दोनों में इन्साफ़ न करे, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू लटका हुआ होगा। (तिर्मिज़ी)

इन्साफ की पूरी कोशिश ज़रूरी है:—

हज़रत आइशा रज़ि0 बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 फरमाया करते थे— ऐ अल्लाह! जहां तक मेरे वश में है सब बीवियों के साथ बराबरी का मामला करता हूं, और जो बात मेरे वश में नहीं है तू ही उस पर वश रखने वाला है, उस पर मेरी पकड़ मत फरमा यानी दिल का किसी एक की तरफ़ झुकना।

(अबू दाऊद व तिर्मिजी आदि)

औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्ल0 की हिदायत:—

हज़रत मुआविया: बिन हैद: रज़ि0 बयान करते हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी! हम लोगों की बीवियों का हम पर क्या हक़ है? आप सल्ल0 ने फरमाया: जब तुम खाओ तो उसको खिलाओ और जब तुम पहनो तो उसको पहनाओ, चेहरे पर न मारो और उसके लिए बुरी बात अपने मुँह से न निकालो और उसको घर के सिवा कहीं मत छोड़ो। (अबूदाऊद)

सद्व्यवहार और नैतिकता घर वालों के लिए भी ज़रूरी है:—

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया: ईमान वालों में पूरा ईमान उस आदमी का है जिसका स्वभाव सबसे अच्छा हो, तुम में सबसे बेहतर वह आदमी है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। (तिर्मिजी)

मर्दों और औरतों के एक दूसरे पर अधिकार:—

हज़रत अम्र बिन अल—अहवस जुशमी रज़ि0 बयान करते हैं कि हज्जतुल वदाअ (आखिरी हज) में उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 को फरमाते हुए सुना: लोगो! सुन लो तुम्हारा, तुम्हारी औरतों पर हक है, तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि वह तुम्हारे बिछौने पर किसी ऐसे आदमी को न बैठने दे जिसको तुम पसन्द नहीं करते हो और तुम्हारे घर में ऐसे आदमी को आने न दे जिसको तुम नापसन्द करते हो। सुन लो! उन का तुम पर यह हक है कि तुम उनको अच्छा पहनाओ और अच्छा खिलाओ।

(तिर्मिज़ी)

अल्लाह के रसूल सल्ल0 का प्रकृति के अनुसार स्वभाव:—

हज़रत आइशा रज़ि0 बयान करती हैं कि हब्शी नेज़ा और भालों से करतब दिखा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने मेरे लिए आड़ कर लिया, और मैं देखती रही, और बराबर देखती रही यहां तक कि मैं खुद चली आई। तुम नई उम्र की लड़कियों (बीवियों) के जज़्बात और भावनाओं का ख्याल करो जो खेल तमाशों की लालची और शौक़ीन होती हैं। (बुखारी)

जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो वह सब से अच्छा है:—

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया: तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और मैं तुममें से अपने घर वालों के साथ सब से अच्छा व्यवहार करने वाला हूँ।

(इब्ने माजा)

अल्लाह के रसूल सल्ल0 की दिलदारी:—

हज़रत आइशा रज़ि0 बयान करती हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने दौड़ में मुकाबला किया तो मैं आप सल्ल0 से बढ़ गई।

(अबू दाऊद व इब्ने माजा)

हज़रत आइशा रज़ि0 ही से रिवायत है कि मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्ल0 के ज़माने में खेला करती थी, जब अल्लाह के रसूल सल्ल0 घर में आते तो वह घबरा कर अलग हो जातीं, आप सल्ल0 उनको मेरे पास भेज देते और वह मेरे साथ खेलतीं।

(बुखारी व मुस्लिम)

❖❖❖

सम्पादकीय

अल्लाह की पुकार

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

अलहम्दुलिल्लाह आपका मासिक ''सच्चा राही'' फरवरी में अपनी ज़िन्दगी के 22 वर्ष पूरे कर लेगा और मार्च 2024 में 23वें वर्ष में प्रवेश करेगा, इस बीच हमारी बराबर कोशिश रही कि समय के अनुकूल अधिक से अधिक इसको लाभदायक और उपयोगी बनाया जाए, अल्लाह के आदेशानुसार उसके बन्दों को सच्चाई के रास्ते पर चलने की दावत दी जाए और उनका पथ प्रदर्शन किया जाए, ताकि अल्लाह के बन्दे पथ भ्रष्ट न हों, इस रास्ते में कठिनाइयां तो अवश्य हैं, परन्तु सफलता और सम्मान निश्चित है, अल्लाह तआला फ़रमाता है ''और कमज़ोर मत पड़ो और न दुखी हो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हीं सर बुलन्द हो कर रहोगे''। (सूरः आले इमरान आयत नं0 139)

अल्लाह का सच्चा और पक्का बन्दा वही है जो पूर्ण रूप से हर हाल में अल्लाह का आज्ञाकारी हो, और उसके आदेशों का पालन करे, दुनिया में इन्सान के आने और उसकी पैदाइश का उद्देश्य अल्लाह तआला ने स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है ''और मैंने इन्सानों और जिन्नातों को तो मात्र इसीलिए पैदा किया कि वह मेरी इबादत करें''।

(सूरः ज़ारियात आयत नं0 56)

इन्सानों की सफलता का रहस्य इसमें पोशीदा है कि उसका संबंध अल्लाह तआला से मज़बूत हो, इन्सान का पैदा करने वाला और उसका ''रब'' पालनहार केवल अल्लाह तआला है, अल्लाह ने केवल उसको पैदा ही नहीं किया, बल्कि उसके पालन पोषण की पूरी व्यवस्था जुटाई, आसमान से ज़मीन तक जो कुछ आप देख रहे हैं, सूर्य चन्द्रमा, समुद्र, पहाड़ बादल, हवाएं, यह सब अपना अपना काम अल्लाह के आज्ञाकारी बन कर कर रहे हैं यदि समुद्र से मानसून न उठें, हवाएं बादलों को न उठाएं, सूर्य द्वारा तापमान न मिले तो प्यासी धरती को पानी नहीं मिलेगा, इसके बिना धरती से हमे न अन्न मिलेगा, न पेड़ों से फल फूल मिलेंगे, इन्सान के जीवनयापन के लिए अल्लाह के यह सब उपकार हैं ऐसी सूरत में इन्सान का कर्तव्य है कि वह अपने वास्तविक स्वामी को न भूले जिसने उसको पैदा किया फिर उसके खाने पीने और जीवनयापन का प्रबंध किया। अपनी बात के समर्थन में मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल के अशआर पेश कर रहा हूँ–

इन अशआर का शीर्षक ''ज़मीन अल्लाह की है''

पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन?
कौन दरयाओं की मौजों से उठाता है सहाब?
कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साज़गार?
ख़ाक यह किसकी है किसका है यह नूरे आफ़ताब?
किसने भर दी मोतियों से ख़ोश–ए–गन्दुम की जेब?
मौसमों को किसने सिखलाई है, खूए इन्क़िलाब?

अल्लामा इक़बाल बहुत बड़े विचारक और विद्वान थे कुरआन का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, वह पढ़े–लिखे समझदार लोगों से प्रश्न करते हैं, ग़ल्ला उगाने के लिए जो दाने ज़मीन में डाले जाते हैं,

उन दानों को मिट्टी की अंधेरियों में कौन पालता है, इसी प्रकार समुद्र की मौजों से बादलों को कौन उठाता है? पश्चिम की ओर से अच्छी हवाओं को कौन खींच कर लाता है? यह मिट्टी किस की है यह प्रकाश देने वाला सूरज किसका है? गेहूँ की बालियों में मोतियों जैसे दाने किसने भर दिये? यदि मौसम में परिवर्तन न हो तो ज़मीन से फसलें कैसे उपजें, यह मौसम की तब्दीली किसके हुक्म से होती है? यह प्राकृतिक प्रबंध इस बात का खुला हुआ संकेत है कि इस संसार का कोई सृष्टा और पालनहार है इन विशेषताओं वाला केवल अल्लाह है जिसके हाथों में समस्त शक्तियों का भण्डार है। लेकिन इन्सान जिहालत और अज्ञानता की वजह से भटका और बहका हुआ है कहीं, वह अपना मस्तक, पहाड़ों के सामने, कहीं पेड़ों और नदियों के सामने, तो कहीं सूर्य और चन्द्रमा के सामने झुकाता है, वास्तविकता यह है कि यह सब चीज़ें इन्सान के सेवक के रूप में हैं इन्सान अल्लाह की सर्वश्रेष्ट सृष्टि है, जिसका मस्तक केवल अल्लाह के सामने झुकता है, जो अकेला है उसका कोई साझीदार नहीं, अल्लाह ने इन्सानों के पथप्रदर्शन के लिए एक लाख चौबीस हज़ार नबी भेजे सब की शिक्षा और सबका सन्देश एक ही था, कि अल्लाह एक है उसका कोई साझीदार, और कोई शरीक नहीं, कुरआन ने शिर्क को बहुत बड़ा अत्याचार कहा है, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है जो अल्लाह के यहां काबिले माफ़ी नहीं, यहां पर हम उदाहरण के तौर पर अल्लाह के एक बड़े प्रसिद्ध नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाज़ (उपदेश) नक़ल करते हैं जो उन्होंने मिस्र में अपने जेल के साथियों के सामने दिया था ''हमारा यह काम नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी साझी ठहराएं और यह हम पर और लोगों पर अल्लाह का एहसान है, लेकिन अधिकतर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं..... ..... आगे फ़रमाते हैं कई माबूद (पूजनीय) अलग अलग बेहतर हैं या एक अकेला अल्लाह जो ज़बरदस्त है, तुम अल्लाह को छोड़ कर जिसको पूजते हो वे सिर्फ नाम ही नाम हैं जो तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने रख छोड़े हैं अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी, राज केवल अल्लाह का है उसने आदेश दिया है कि तुम केवल उसी की पूजा करो यही सीधा रास्ता है लेकिन अधिकतर लोग जानते नहीं''।

(सूरः यूसुफ़ आयत नं0 38,39,40)

इस्लाम में कलिम–ए–तय्यिबा की बुन्यादी हैसियत है इसके इक़रार और इनकार पर ईमान का निर्णय होता है, यदि कोई इन्सान दिल और ज़बान से इसका इक़रार करता है और कलिम–ए–तय्यिबा के तक़ाज़ो के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी गुज़ारता है तो उसका शुमार ईमान वालों में होता है, यदि कोई इन्सान इस कलिमे का इनकार करता है तो उसका शुमार काफ़िरों में होता है। इस कलिमे में अल्लाह तआला की तौहीद का इक़रार है और इसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इबादत के लायक़ हो बस अल्लाह तआला ही अकेला ऐसा है जो बन्दग़ी के लायक़ है क्योंकि वही हमारा पालने वाला और रोज़ी देने वाला है वही मारने वाला और जिलाने वाला है बीमारी व सेहत, अमीरी और ग़रीबी और हर तरह का बनाव बिगाड़ और फायदा व नुकसान सिर्फ उसी के क़ब्जे में है और उसके सिवा आसमान व ज़मीन में जो हस्तियां हैं चाहे आदमी हों या फ़रिश्ते सब उसके बन्दे और उसके पैदा किये हुए हैं उसकी

खुदाई में कोई उसका शरीक व साझी नहीं है और न उसके आदेशों में उलट पलट का किसी को हक़ है और न उसके कामों में कोई दखल दे सकता है।

इसलिए वही और केवल वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उसी से लौ लगाई जाए, मुसीबतों तथा कठिनाइयों और अपनी सभी ज़रूरतों में गिड़गिड़ा कर उसी से दुआ की जाए और मांगा जाए और वही हक़ीक़त में मालिक और सारी दुनिया का बादशाह है और सब हाकिमों बादशाहों से ऊँचा और बड़ा बादशाह है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके हर हुक्म को माना जाए और पूरी वफ़ादारी के साथ उसके हुक्मों पर चला जाए, उसके हर हुक्म के सामने किसी दूसरे का कोई हुम्क कभी भी न माना जाए, चाहे वह कोई हो, चाहे वह अपना बाप हो या अपने समय का हाकिम या विरादरी का चौधरी हो या कोई प्यारा दोस्त हो या अपने दिल की चाहत हो, इसलिए जब हमने मान लिया और जान लिया कि केवल अल्लाह इबादत के लायक़ है और हम केवल उसी के बन्दे हैं तो चाहिए कि हमारा अमल उसी के मुताबिक हो और संसार के लोग हमें देख कर समझ लिया करें कि यह केवल अल्लाह के बन्दे हैं जो अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं और अल्लाह के लिए जीते और मरते हैं। खुलासा यह है कि ''लाइलाह इल्लल्लाह'' हमारा इक़रार और एलान हो, ''लाइलाह इल्लल्लाह'' हमारा यक़ीन और हमारा ईमान हो। लाइलाह इल्लल्लाह'' हमारा अमल और हमारी शान हो।

❖❖❖

एक बन्द-ए-मोमिन का इन्तिक़ाल

—इदारा

मासिक पत्रिका ''सच्चा राही'' के सहायक सम्पादक मौलाना जमाल अहमद नदवी द्वारा दुखदाई ख़बर मिली कि दिनांक 06 जनवरी, 2024 ई0 को शहर सुलतानपरु उ0प्र0 के बड़े ही मशहूर व्यवसायी और बहुत ही दीनदार व अमानतदार व्यापारी हाजी हकीमुद्दीन साहब का निधन हो गया (इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन)। ''बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की ओर वापस जाने वाले हैं''। कुरआन की इस आयते करीमा में एक वास्तविकता का स्पष्टीकरण है और रिश्तेदारों नातेदारों और दोस्तों के लिए एक बड़ा तसल्ली का सामान है।

मरहूम का रूहानी तअल्लुक़ वक़्त के बहुत बड़े बुजुर्ग मुहीउस्सन्नाः हज़रत मौलाना अबरारुलहक़ साहब रह0 से था, जिसका रंग उनकी पूरी ज़िन्दगी पर छाया हुआ था। उनका व्यापार ईमानदारी और सच्चाई के वसूलों के साथ था। एक अच्छे और बड़े व्यापारी होने के बावजूद पाबन्दि—ए—वक़्त के साथ मस्जिद की इमामत भी बिना तन्खवाह करते थे। आमतौर पर बच्चों की तालीम व तरबियत के सिलसिले में लोग लापरवाह होते हैं लेकिन मरहूम हकीमुद्दीन साहब ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सबको अलग अलग कारोबार कराया, सबकी समय पर शादी कर दी, रिहाइश के लिए सबके अलग अलग मकान बनवाये। अल्लाह तआला ने मरहूम को पाँच बेटे— (1) हाफ़िज़ हबीबउल्लाह (2) अतीक़उल्लाह (3) हाफ़िज़ वसीउल्लाह (4) हाफ़िज़ रफ़ीक़उल्लाह (5) शफ़ीक़ उल्लाह और एक बेटी अता फ़रमाई। अल्हमदुलिल्लाह सभी बेटे हाजी हैं, अल्लाह तआला मरहूम और उनके बेटों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए।

''सच्चा राही'' अपने समस्त पाठकों से मरहूम के लिए दुआ—ए—मग़फ़िरत की दरख़्वास्त करता है।

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

क़यामत की बड़ी निशानियाँः-

क़यामत आने से पहले दुनिया में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होंगी जिससे खुल जाएगा कि क़यामत अब बहुत क़रीब है, उनमें इमाम महदी का जाहिर होना, हज़रत ईसा (अलै0) का उतरना, याजूज–माजूज का निकलना, दज्जाल का सामने आना, दाब्बतुल अर्ज यानी एक जानवर का लोगों से बाकायदा बात करना और सब से आखिरी निशानी सूरज का पश्चिम से निकलना, उसके बाद दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी और क़यामत बरपा हो जाएगी, जिसकी तफसील आगे आ रही है।

क़यामतः–

दुनिया में हर आने वाले इंसान को एक दिन ख़त्म हो जाना है, जो आया है वो जाने ही के लिए आया है, ये एक ऐसी हक़ीक़त है जिसका इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, आसमान व जमीन, चाँद सितारे, सूरज और ये पूरी व्यवस्था उलट पलट कर रह जाएगी, कुरआन मजीद में दसियों जगह क़यामत का नक्शा खींचा गया है, निम्नलिखित आयतों को देखेंः–

अनुवादः– "जब आसमान फट जाएगा, और जब सितारे बिखर जाएंगे, और जब समंदर उबाल दिए जाएंगे, और जब कब्रों को उथल पुथल कर दिया जाएगा, (उस वक़्त) एक एक व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि उसने क्या भेजा और क्या छोड़ा।

(अल–इनफितारः 1–5)

अनुवादः– "जब सूरज लपेट दिया जाएगा, और जब सितारे टूट टूट कर गिर जाएंगे, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे।''

(अल–तकवीरः1–3)

अनुवादः– "बस जब आँखें चुँधिया जाएंगी, और चाँद को ग्रहण लग जाएगा, और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे ।,,

(अल–कियामहः 9–7)

अनुवादः– "उस दिन आसमान तलछट की तरह होगा, और पहाड़ रुई के रंगीन गालों की तरह होंगे।

(अल–मआरिजः– 8–9)

अनुवादः– "फिर जब एक ही बार सूर फूंकी जाएगी, और ज़मीन और पहाड़ को उठा कर एक ही बार में चकना चूर कर दिया जाएगा, तो उस दिन घटित होने वाली चीज घटित हो जाएगी, और आसमान फट पड़ेगा तो उस दिन वो फुसफुसा होगा ।

(अल–हाककहः 13–16)

अनुवादः–"जिस दिन ज़मीन और पहाड़ काँप कर रह जाएंगे और पहाड़ भरभराती हुई रेत के ढेर बन जाएंगे।,,

(अल–मुजम्मिलः 14)

अनुवादः– "फिर जब आसमान फट पड़ेगा तो वो तलछट की तरह लाल हो जाएगा ।''

(अल–रहमानः37)

अनुवादः– "जिस दिन ज़मीन ये ज़मीन न रहेगी और (न) आसमान (ये आसमान होगा) और एक ज़बर्दस्त अल्लाह के सामने सब की पेशी होगी" ।

(इब्राहीमः 48)

सब कुछ ख़त्म होने के बाद दूसरी बार सूर फूंकी जाएगी तो सब कब्रों से निकल खड़े होंगे, इसी लिए उस को "यौमुल बअस" कहा गया है, अल्लाह फरमाता हैः–

अनुवादः– "फिर उसमें दोबारा सूर फूँका जाएगा बस वो पल भर में खड़े हो कर देखने लगेंगे।''

(अल–जुमरः 67)

दूसरी जगह अल्लाह तआला हश्र के बारे में इंसानी जेहन के ऐतबार से मिसाल दे कर फरमाता हैः–

अनुवादः– "ऐ लोगो! अपने रब से डरो निश्चित रूप से कयामत का भौंचाल, एक बड़ी चीज़ है, जिस दिन तुम उसको देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर गर्भवती औरत अपने गर्भ को गिरा देगी और आप को नजर आएगा कि लोग नशे में हैं जबकि वो नशे में न होंगे, हाँ अल्लाह का अजाब है ही बड़ी सख्त चीज।''

(अल–हज्ज 5–7)

हज़रत आदम से लेकर कयामत तक जो भी दुनिया में आया है सब को उस दिन जमा किया जाएगा, इस लिए उसको कुरआन मजीद में "यौमुल जमअ़" भी कहा गया है, यानी जमा होने का दिन, "यौमुल खुरुज" भी उसको कहा गया है, कि कब्रों से निकलने का दिन, सूरह ज़िलज़ाल में इरशाद होता हैः–

अनुवादः– "जब ज़मीन अपने भौंचाल से झिंझोड़ कर रख दी जाएगी, और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, उस दिन वो अपनी सारी खबरें बता देगी, कि आपके रब ने उसको यही हुक्म दिया होगा, उस दिन लोग गिरोह दर गिरोह लौटेंगे ताकि उनको उनके सब काम दिखा दिए जाएं, बस जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसको देख लेगा"।

(अल–जिलजालः 1–8)

कुरआन मजीद में पूरी एक सूरह भी "सूरह कियामह" के नाम से नाजिल हुई है जिस में बड़ी बड़ी हकीकतों को छोटी छोटी आयतों में बड़े प्रभावी अंदाज में बयान किया गया है, इरशाद होता हैः–

अनुवादः– अब मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ और मलामत करने वाले नफ़्स की कसम खाता हूँ, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, क्यों नहीं, हम इस पर पूरी कुदरत रखते हैं कि उसके पोर–पोर को ठीक कर दें, बल्कि इंसान तो चाहता है कि वो अपने आगे भी ढिटाई करता रहे, पूछता है कि क़यामत का दिन कब है, बस जब आँखें चुँधिया जाएंगी, और चाँद को ग्रहण लग जाएगा, और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा कि अब बचाओ की जगह कहाँ है, हरगिज नहीं ! अब पनाह की कोई जगह नहीं, उस दिन आप के रब के सामने ही (हर एक को) ठहरना है, उस दिन इंसान को जो कुछ उसने आगे पीछे किया है सब जतला दिया जाएगा, बात ये है कि इंसान खुद अपने आप से खूब वाकिफ है, चाहे वो अपने बहाने पेश कर डाले।''

(अल–कियामहः 1–15)

❖❖❖

नौजवान लड़कियों में शादी न करने का रूझान क्यों पनप रहा है?

डॉ0 मु0 रजीउल इस्लाम नदवी

आजकल बहुत सी लड़कियों में शादी न करने का रूझान बढ़ रहा है वह देखती हैं कि कई घरानों में बीवियों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें तरह तरह से सताया जाता है, यहां तक कि उनके साथ मार पीट भी की जाती है, यह देख कर वह अपनी शादी शुदा ज़िन्दगी के बारे में अनगिनत अंदेशों में मुबतला हो जाती हैं, दूसरी ओर उनमें नौकरी करने का रूझान बढ़ रहा है, इस वजह से वह अपने गुज़र बसर के लिए किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहतीं, और वह कहती हैं कि हम अपनी आगे की ज़िन्दगी अपने माँ–बाप के घर में गुज़ार लेंगे, या अपना अलग इंतेज़ाम कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे।

क्या ऐसी सोच दुरुस्त है? अगर नहीं तो इस प्रकार सोचने वाली लड़कियों को कैसे समझाया जाए?

इस दुनिया को अल्लाह तआला ने इम्तिहान गाह की हैसियत दी है, यहां इंसान जैसे कर्म करेगा उसका बदला प्रलोक की ज़िन्दगी में (जो वास्तविक और हमेशा हमेश की होगी) उसे मिलेगा, दुनिया में नेक और अच्छे कर्म करने वाले जन्नत की नेमतों को देख कर खुश होंगे और बुरे कर्म करने वाले जहन्नम का ईंधन बनेंगे, अल्लाह का इरशाद है जिसने मौत व ज़िन्दगी को पैदा किया, ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे, तुममें से कौन बेहतर कर्म करने वाला है।

दुनिया की सारी व्यवस्था चलती रहे, और क़यामत तक यहां इंसानों का वजूद बाकी रहे इसी के लिए अल्लाह तआला ने शादी का क़ानून बनाया है।

इन्सानों को ही नहीं, बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों को भी उसने जोड़े की शक्ल में पैदा किया है ताकि उनकी नस्लें चलें, उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हो और दुनिया की चमक–दमक क़ायम रहे, कुरआन मजीद में है– आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किये और इसी प्रकार जानवरों में भी समान लिंग वाले जोड़े बनाए और इस तरीक़े से वह तुम्हारी नस्लें फैलाता है।

दूसरी जगह तमाम इंसानों को सम्बोधित करके कहा गया है– लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उस का जोड़ा बनाया और उन दोनों से ही बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिये।

अल्लाह तआला ने इंसानों की फितरत ऐसी बनाई है कि वह शादी विवाह के क़ानून पर अमल करें और उनके मध्य जन्म और प्रजनन का सिलसिला जारी रहे, इसी लिए उनके अंदर लैंगिक मिलान का जज़्बा रखा गया है, उम्र की एक सीमा तक पहुंचने के बाद मर्द औरत की तरफ कशिश महसूस करता है और औरत के अंदर मर्द की ओर खिंचाव पाया जाता है, अगर इस जज़्बे की तस्कीन सही तरीक़े से हो तो इन्सानियत का क़ाफला सुकून व इतमीनान के साथ चलता रहता है, लेकिन अगर उसे सही रुख न दिया जाए तो समाज फितना व फसाद से भर जाता है।

इतिहास में लिंग के प्रति जुनून और सेक्स को लेकर इंसानों के दो नज़रिए रहे हैं–

(1) बहुत से इन्सानों ने उसे हक़ारत की नज़र से देखा और उसे दबाने और कुचलने को इन्सानियत की मेराज (उदय) समझा। (2) दूसरी ओर इन्सानों की बड़ी तादाद ने यह नज़रिया क़ायम किया कि यौन संतुष्टि के लिए मनुष्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वह जहां और जैसे चाहे, अपनी यौन इच्छा पूरी कर ले। यह दोनों नज़रिए अतिवाद पर आधारित हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं। लिंग के प्रति अपने झुकाव के जज़्बे को दबाना मानव प्रकृति से बगावत है, जब कि अपनी यौन इच्छा की संतुष्टि के लिए हर तरीक़े को जायज़ समझने का नजरिया मानव समाज को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर देता है।

इस सम्बन्ध में इस्लामी शिक्षाएं संयम पर आधारित हैं, इस्लाम हर व्यक्ति को अपनी यौन इच्छा की संतुष्टि का पूरा अधिकार देता है, लेकिन उसके लिए उसने शादी के बंधन में बंधने को ज़रूरी क़रार दिया है, किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए बिना निकाह के किसी से सम्बन्ध बनाना बहुत बड़ा गुनाह और दण्डनीय अपराध है, इसी तरह किसी मुसलमान मर्द या औरत का बिना किसी कारण निकाह न करना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है– इस्लाम में रहबानियत *(Monasticism)* नहीं है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि0 ने निकाह किया था लेकिन वैवाहिक मामलों में लापरवाह थे, इसीलिए उनकी बीवी बनाव श्रृंगार नहीं करती थीं, अल्लाह के रसूल सल्ल0 को इसकी खबर हुई तो आप सल्ल0 ने उन्हें तम्बीह की और फरमाया ऐ उस्मान! रहबानियत हमारे ऊपर लाज़िम नहीं की गई है, क्या तुम्हारे लिए मेरे व्यक्तित्व में कोई नमूना नहीं है? खुदा की क़सम, मैं तुममें सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और उसकी तय की हुई सीमाओं का पालन करने वाला हूँ।

ऐसी ही सोच कुछ दूसरे सहाबा भी रखते थे लेकिन अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने हमेशा उनको दबाया हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास बयान करते हैंः अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को बीवी से अलग रह कर ज़िन्दगी गुज़ारने की इजाज़त नहीं दी थी, अगर आप उनको इजाज़त दे देते तो हम भी स्वयं को खस्सी कर लेते। यह सच है कि मर्दों के वर्चस्व वाले समाज में कई महिलाओं को मान सम्मान का स्थान नहीं मिलता वह अपने कई मौलिक अधिकारों से वंचित रहती हैं, शादी के बाद भी इन्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है उनपर अत्याचार किया जाता है यहां तक कि कई बार उनके साथ मार पीट भी की जाती है।

अफ़सोस की बात है कि यह स्थिति कुछ मुस्लिम घरानों की भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लड़कियां इस डर से शादी का इरादा ही छोड़ दें, ज़िन्दगी डर के सहारे नहीं गुज़ारी जाती, जैसे डर होता है कि कहीं भूकम्प न आ जाए फिर भी हम घर में रहते हैं, डर होता है कि कहीं एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से, एक बस दूसरी बस से, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से न टकरा जाए, फिर भी हम सफर करना बन्द नहीं करते, खतरा होता है कि दुकानदार खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हों, फिर भी हम बाज़ार जाना और ज़रूरत की चीज़ों का खरीदना

नहीं छोड़ते, इसी प्रकार ज़िन्दगी के दूसरे मामलात में भी हम दूर के अंदेशों के बावजूद नियमित गतिविधियां जारी रखते हैं, फिर निकाह व शादी के मामले में यह सोच क्यों? कि डर की वजह से शादी का इरादा छोड़ दिया जाए, और अविवाहित ज़िन्दगी को प्राथमिकता दी जाए।

निकाह करना दरअसल अल्लाह तआला के उस निज़ाम से स्वयं को जोड़ना है जिसे उसने ब्रह्माण्ड और मानवता की निरंतरता के लिए स्थापित किया है। शादी एक ऐसा कार्य है जो मानव स्वभाव के लिए आवश्यक है और प्रकृति से विद्रोह स्वयं मानव के लिए हानिकारक है और समाज भी फितना व फसाद से भर जाता है, निकाह अम्बिया और विशेष कर आखरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं भी अमल किया है और अपनी उम्मत को भी इसका आदेश दिया है, इसलिए आम हालात में उसकी अवज्ञा किसी सच्चे मोमिन मर्द अथवा औरत के लायक़ नहीं है।

निकाह के संबंध में अंदेशों और डर में पड़ने के बजाए पूरी छान बीन और जांच पड़ताल के बाद क़दम उठाना चाहिए, लड़कियों के अभिभावकों को चाहिए कि वह उनके लिए दीनदार रिश्तों को प्राथमिकता दें, कोई रिश्ता फाइनल करने से पहले हर पहलू से पूरी जांच परख कर लें, लड़कियों पर अपनी मर्जी न थोपें, बल्कि उन्हें भी राय मशवरे में शामिल करें, रिश्ता कर देने के बाद भी उन से बेखबर न हो जाएं बल्कि आगे भी उनके हालात की जानकारी रखें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सरपरस्ती करें, इस प्रकार उम्मीद है कि लड़कियां स्वयं को मजबूर व असहाय महसूस नहीं करेंगी।

❖❖❖

अपने पाठकों से

- सच्चा राही आपको कैसा लगा आप अपनी राय से अवगत करें, हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम अपने सम्मानित लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषयों पर अपने मूल्यवान लेख लिख कर हमें भेजें, हम आपके शुक्र गुज़ार होंगे।
- आप अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हो, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकें।
- आप सच्चा राही के नये ग्राहक बना कर हमारा सहयोग करें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके समाधान लिख कर सच्चा राही में प्रकाशित करेंगे।
- **आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।**

E-mail: *jamalnadwi123@gmail.com*

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में

मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

हिन्दुओं के धार्मिक पेशवाओं का सम्मानः—

इस्लामी क़ानून के माध्यम से प्रजा की भलाई और खुशहाली में वृद्धि हुई। राजनीति में इस्लामी और नैतिक भावना फूँकी गयी थी और दण्ड मात्र इसलिए दिए जाते थे कि वह इस्लामी क़ानून, जिनसे भलाई होती थी, बचे रहें और जो व्यक्ति इन क़ानूनों के विरुद्ध चलता उसको कुरआन और क़ाज़ियों के निर्णय के अनुसार दण्ड दिया जाता था। फ़िरोज़शाही ज़माने में न्याय का शासन था और किसी व्यक्ति को भी दूसरे पर अत्याचार करने का अधिकार न था। पूरे देश में पूरी तरह शान्ति स्थापित थी, इसके लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गयीं कि लोगों के जीवन में भी स्वयं विकास होता गया और बड़े व छोटे हर वर्ग के लोग सन्तुष्ट और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। सामान की बहुतायत थी वह सस्ते दामों पर मिलते थे, इसलिए सामान्य जनता सन्तुष्ट और खुशहाल हो गयी। फ़िरोज़शाह का यह कारनामा इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल0 के नियमों के कारण था जो उसने अपने राज्य और शासन के लिए अपनाया था। लेकिन इतनी प्रशंसा करने के बाद ईश्वर टोपा ने यह भी लिखा है किः

''शान्तिप्रिय फ़िरोज़शाह जनता की देखभाल करने वाला शुभचिन्तक अवश्य था लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों में रुढ़िवादी था। उसमें सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक की तरह धार्मिक उदारता न थी, वह इस्लाम के कट्टर विश्वासों वाले गिरोह को पसंद करता था। इसलिए धार्मिक विचारों और विश्वासों में स्वतन्त्रता का समर्थक न था। ईश्वर टोपा ने सुल्तान के रुढ़िवाद का कारण यह बताया है कि उसके मन और विचार पर उलमा का बहुत प्रभाव था, इसलिए उसका शासन भी उनके प्रभाव के अन्तर्गत रहा''।

लेकिन अच्छे उलमा के अच्छे विचारों से रूढ़िवादी हो जाने का परिणाम निकालना उचित नहीं। अच्छे उलमा कभी ग़लत और बिना वजह अपना दृष्टिकोण नहीं दे सकते थे। सुल्तान के रूढ़िवाद के प्रमाण में यह विवरण बताया गया है कि उसने मुसलमानों के बिदअती समूह को कठोर सज़ाएं दीं, क्योंकि उलमा के दृष्टिकोण से उस समूह के ग़ैर इस्लामी रीति—रिवाजों के कारण इस्लाम की बुनियाद कमज़ोर होती जा रही थी। जिस मुसलमान के विचार में कुफ़्र या पथभ्रष्टता दिखायी देती या जो लोगों को अनीश्वरवाद और इबाहीयत (हर चीज़ को वैध घोषित करना) की ओर ले जाता या खुदा होने या पैग़म्बर होने का दावा करता या चरित्रहीनता और पथभ्रष्टता की तरफ़ झुकाव रखता उसको भी असाधारण दण्ड दिए जाते। अतः पथभ्रष्ट पेशवा या तो देश से निकाल दिए गए या उलमा के निर्णय के अनुसार सूली पर चढ़ा दिए गए और तमाम अनीश्वरवादी लेख जला कर नष्ट कर दिए गए। कोई काम ऐसा न होने दिया जाता जो इस्लामी क़ानून और परम्परा के विरुद्ध होता। ईश्वर टोपा यह भी मानते हैं कि सुलतान ने यह सारी बातें मुसलमानों के धार्मिक जीवन के सुधार के लिए किए। सुधार की भावना में कभी—कभी आक्रामक रंग पैदा हो जाता है। लेकिन यदि नीयत अच्छी हो तो इसको रूढ़िवादी रवैया नहीं

कहा जा सकता है। एक मुसलमान शासक को मुसलमानों के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन को सँवारने का पूरा अधिकार प्राप्त है, इसलिए सुलतान ने मुसलमानों के सुधार के लिए जो कुछ किया, वह उसका धार्मिक पक्षपात नहीं माना जा सकता। यह और बात है कि उसने जो दण्ड दिए उन पर बहस की जा सकती है। जैसे फुतूहात–ए–फ़िरोज़शाही में उल्लेख है कि एक बुजुर्ग अहमद बिहारी थे। उनके अनुयायी उनको खुदा समझते थे और कहा करते थे कि दिल्ली में खुदा का उदय हुआ है। उनके एक मित्र शेख़ ग़रकाकवी भी थे। उन पर भी ऐसा ही आरोप लगा। दोनों उलमा के फ़तवे पर क़त्ल कर दिए गए। बिहार शरीफ (जिला पटना) में उस ज़माने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन याहया मुनीरी भी थे। उनको उन दोनों के क़त्ल की सूचना मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि वह उन दोनों को तौहीद के रहस्यों का जानने वाला और दुनिया छोड़ने वाला समझते थे। उनकी बातों को उलमा दीवानगी समझते थे, इसीलिए उन दोनों के क़त्ल पर फ़रमाया, जिस शहर में ऐसे बुजुर्गों का खून बहाया जाए, आश्चर्य है, यदि वह आबाद रहे। उनके समर्थकों का विचार है कि फ़िरोज़शाह के बाद दिल्ली जो तैमूर के हाथों बर्बाद हुई। वह मानो उन्हीं बुजुर्गों की हत्या का परिणाम था।

हज़रत शरफुद्दीन याहया मुनीरी शरीअत के बहुत बड़े ध्वजावाहक़ थे। उनका उपदेश था कि ''बाखुदा दीवानाबाश व बा मुहम्मद होशियार'', अर्थात पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल0 के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न हो, वह भी वहदतुल वजूद अर्थात उद्वैतवाद के समर्थक थे। लेकिन ईश–प्रेम में भाव विभोर होने के बावजूद उनसे कोई शरीअत विरुद्ध कर्म नहीं हुआ। मये अलस्त (अर्थात क्या मैं नहीं हूं खुदा) मैं डूबे हुए लोगों की स्पष्ट रूप से बहकी–बहकी बातों को जो सहन करते रहे वह उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक उदारता का बहुत बड़ा प्रमाण है। शेख़ अहमद बिहारी और शेख़ गरकाकवी के क़त्ल के बारे में फ़िरोज़शाह तुग़लक को हज़रत शेख़ शरफुद्दीन यहया मुनीरी के विचारों का ज्ञान हुआ तो उसने उनसे पूछताछ करनी चाही। मगर उनसे हज़रत जहानयान जहांगश्त की श्रद्धा का हाल मालूम हुआ तो उस पूछताछ से रुक गया जो उसकी भी उदारता का अच्छा प्रमाण है।

सुलतान फ़िरोज़शाह तुग़लक यदि हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों में कोई सुधार करने की कोशिश करता तो उसको यह अधिकार स्वयं इस्लामी क़ानून के अनुसार न था। उसकी इच्छा अवश्य रही कि ग़ैर मुस्लिम अधिक से अधिक इस्लाम के दायरे में प्रवेश हों, इसके लिए उसने लालच और प्रेरणा भी दिलायी। लेकिन ज़बरदस्ती करने का तरीका नहीं अपनाया। वह स्वयं लिखता है कि मैंने अहल–ए–जिम्मा अर्थात ग़ैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दीन की प्रेरणा दिलायी और घोषणा की कि उनमें से जो कोई तौहीद का कलिमा पढ़ेगा और इस्लाम धर्म कुबूल करेगा, उसका जिज़िया माफ हो जाएगा और उसको बहुत से पुरस्कार दिए जायेंगे। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में हिन्दू मुसलमान हुए।

फ़िरोज़शाह तुग़लक पर मन्दिर तोड़ने का आरोपः–

उस पर यह आरोप है कि उसने हिन्दुओं के कुछ मन्दिरों को ढाया। वह अपनी फुतुहात–ए–फ़िरोज़शाही में स्वयं स्वीकार करता है कि उसने तुग़लकपुर सालेहपुर और कस्बा गोहाना के नये मन्दिर तुड़वा दिए।

(पृ0 11–12)

शेष पृष्ठ ....23..पर..

–पिछले अंक से आगे.....

इस्लाम आतंक नहीं
अनुसरणीय जीवन–आदर्श

स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य

मक्का! वही मक्का जहाँ कल अपमान था, आज स्वागत हो रहा था। उदारता और दयालुता की मूर्ति बने अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने उन सभी लोगों को मॉफ कर दिया, जिन्होंने आप और मुसलमानों पर बेदर्दी से जुल्म किया तथा अपना वतन छोड़ने को मजबूर किया था। आज वे ही मक्का वाले अल्लाह के रसूल के सामने खुशी से कह रहे थे–

''ला इलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह''

और झुण्ड के झुण्ड प्रतिज्ञा कर रहे थे:

''अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह''

मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं।''

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 की पवित्र जीवनी पढ़ने के बाद मैंने पाया कि आप सल्ल0 ने एकेश्वरवाद के सत्य को स्थापित करने के लिए अपार कष्ठ झेला।

मक्का के काफिर सत्य धर्म की राह में रोड़ा डालने के लिए आपको तथा आपके बताए सत्य पर चलने वाले मुसलमानों को लगातार तेरह सालों तक हर तरह से प्रताड़ित व अपमानित करते रहे। इस घोर अत्याचार के बाद भी आप सल्ल0 ने धैर्य बनाए रखा। यहां तक कि आपको अपना वतन मक्का छोड़ कर मदीना जाना पड़ा। लेकिन मक्का के मुश्रिक कुरैश ने आप सल्ल0 का व मुसलमानों का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो अपनी व मुसलमानों की तथा सत्य की रक्षा के लिए मजबूर हो कर आपको लड़ना पड़ा। इस तरह आप पर व मुसलमानों पर लड़ाई थोपी गयी।

इन्हीं परिस्थितियों में सत्य की रक्षा के लिए जिहाद (यानी आत्मरक्षा व धर्म रक्षा के लिए धर्म–युद्ध) की आयतें और अन्यायी तथा अत्याचारी काफ़िरों व मुश्रिकों को दण्ड देने वाली आयतें अल्लाह की ओर से आप सल्ल0 पर आसमान से उतरीं।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 द्वारा लड़ी गयी लड़ाईयां आक्रमण व आतंकवाद से बचाव के साथ ऐसा किये बिना शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती थी।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने सत्य तथा शान्ति के लिए अन्तिम सीमा तक धैर्य रखा और धैर्य की अन्तिम सीमा से युद्ध की शुरुआत होती है। इस प्रकार का युद्ध ही धर्मयुद्ध (यानी जिहाद) कहलाता है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कुरैश जिन्होंने आप व मुसलमानों पर भयानक अत्याचार किये थे, फत्हे मक्का (यानी मक्का विजय) के दिन वे थर–थर काँप रहे थे कि आज क्या होगा? लेकिन आप सल्ल0 ने उन्हें माफ कर गले लगा लिया।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 की इस पवित्र जीवनी से सिद्ध होता है कि इस्लाम का अन्तिम उद्देश्य दुनिया में सत्य और शान्ति की स्थापना और आतंकवाद का विरोध है।

अतः इस्लाम को हिंसा व आतंक से जोड़ना सबसे बड़ा असत्य है। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसको इस्लाम से या सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय से जोड़ा नहीं जा सकता।

इस्लाम का आदर्शः–

अब इस्लाम को विस्तार से जानने के लिए इस्लाम की बुनियाद कुर्आन की ओर चलते हैं।

इस्लाम आतंक है या आदर्श? यह जानने के लिए मैं कुरआन मजीद की कुछ आयतें दे रहा हूं जिन्हें मैंने मौलाना फतेह मुहम्मद खाँ जालन्धरी द्वारा हिन्दी में अनुवादित और महमूद एण्ड कम्पनी मरोल पाइप लाइन मुम्बई 59 से प्रकाशित कुरआन मजीद से लिया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुरआन मजीद का अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी आयत का भावार्थ जरा भी बदलने न पाए, क्योंकि किसी भी कीमत पर यह बदला नहीं जा सकता। इसीलिए अलग –अलग भाषाओं में अलग– अलग अनुवादकों द्वारा कुरआन मजीद के किये गये अनुवाद का भाव एक ही रहता है।

कुरआन की शुरुआत ''बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'' से होती है, जिसका अर्थ है– शुरु अल्लाह का नाम ले कर, जो बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु है।

ध्यान दें। ऐसा अल्लाह जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है वह ऐसे फरमान कैसे जारी कर सकता है, जो किसी को कष्ट पहुंचाने वाले हों, अथवा हिंसा या आतंक फैलाने वाले हों? अल्लाह की इसी कृपालुता और दयालुता का पूर्ण प्रभाव अल्लाह के रसूल सल्ल0 के व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलता है।

कुरआन की आयतों व पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल0 की जीवनी से पता चलता है कि मुसलमानों को उन काफिरों से लड़ने का आदेश दिया गया जो आक्रमणकारी थे, अत्याचारी थे। यह लड़ाई अपने बचाव के लिए थी। देखें कुरआन मजीद में अल्लाह के आदेश–

और (ऐ मुहम्मद! उस वक़्त को याद करो) जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुम को कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें तो इधर खुदा चाल चल रहा था और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है।

(कुरआन–8:30)

ये वह लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिये गये (उन्होंने कुछ कुसूर नहीं किया) हाँ, यह कहते हैं कि हमारा परवरदिगार खुदा है और अगर खुदा लोगों को एक दूसरे से न हटाता तो (राहिबों के) पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों की और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें ख़ुदा का बहुत सा जिक्र किया जाता है, गिरायी जा चुकी होती। और जो शख्स खुदा की मदद करता है, ख़ुदा उसकी ज़रूर मदद करता है। बेशक खुदा ताकत वाला और गालिब (यानी प्रभुत्वशाली) है।

(कुरआन–22:42)

ये क्या कहते हैं कि इसने कुरआन खुद से बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी दस सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिस–जिसको बुला सकते हो, बुला भी लो।

(कुरआन–11:13)

(ऐ पैग़म्बर!) काफिरों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखा न दे। (कुरआन–3:196)

जिन मुसलमानों से (ख़ामख़ाह) लड़ाई की जाती है, उनको इजाज़त है (कि वे भी लड़ें) क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा (उनकी मदद करेगा, वह) यकीनन उनकी मदद पर कुदरत रखता है।

(कुरआन–22:39)

और उनको (यानी काफिर कुरैश को) जहाँ पाओ, क़त्ल कर दो और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है (यानी मक्के से) वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो। (कुरआन–2:191)

जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें,

उनकी यह सजा है कि क़त्ल कर दिये जाएं या सूली चढ़ा दिये जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पाँव काट दिये जाएं। यह तो दुनिया में उनकी रूसवाई है और आखिरत यानी क़यामत के दिन में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम्हारे काबू आ जाएं, तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बखशने वाला मेहरबान है। (कुरआन–5:33–34)

इस्लाम के बारे में झूठा प्रचार किया जाता है कि कुरआन में अल्लाह के आदेशों के कारण ही मुसलमान लोग गैर–मुस्लिमों का जीना हराम कर देते हैं, जबकि इस्लाम में कहीं भी निर्दोषों से लड़ने की इजाज़त नहीं है, भले ही वह काफिर या मुश्रिक या दुश्मन ही क्यों न हों। विशेष रूप से देखिए अल्लाह के ये आदेशः

जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुम को तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इन्साफ का सुलूक करने से खुदा तुम को मना नहीं करता। खुदा तो इन्साफ़ करने वालों को दोस्त रखता है। (कुरआन 60:8)

खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है, जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुम को तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे, वही जालिम हैं।

(कुरआन–60:9)

ज़्यादती का निषेधः–

और जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती न करना कि खुदा ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता।

(कुर्आन 2:190)

ये खुदा की आयतें हैं, जो हम तुम को सेहत के साथ पढ़ कर सुनाते हैं और अल्लाह अहले आलम (अर्थात जनता) पर जुल्म नहीं करना चाहता।

(कुर्आन–3:108)

इस्लाम का प्रथम उद्देश्य दुनिया में शान्ति की स्थापना है, लड़ाई तो अन्तिम विकल्प है और यही तो आदर्श धर्म है, जो नीचे दी गयी इस आयत में दिखाई देता है–

ऐ पैगम्बर! इन्कारियों से कह दो कि अगर वे अपने फेलों से बाज आ जाएं, तो जो हो चुका, वह उन्हें मॉफ कर दिया जाएगा और अगर फिर वही हरकतें करने लगेंगे तो अगले लोगों का (जो) तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में बरता जाएगा। (कुर्आन 8:38)

इस्लाम दुश्मनों के साथ भी सच्चा न्याय करने का आदेश, देता है और न्याय का सर्वोच्य आदर्श प्रस्तुत करता है। इसे नीचे दी गयी आयत में देखिए–

ऐ ईमान वालो! खुदा के लिए इन्साफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुम को इस बात पर तैयार न करे कि इन्साफ़ छोड़ दो। इन्साफ़ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। (कुरआन–5:8)

इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या की इजाज़त नहीं है ऐसा करने वाले की एक ही सजा है खून के बदले खून। लेकिन यह सजा केवल कातिल को ही मिलनी चाहिए और इसमें ज़्यादती मना है इसे ही कहते हैं सच्चा इन्साफ़! देखिए नीचे दिया गया अल्लाह का यह आदेशः

और जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है, उसे क़त्ल न करना मगर जायज तौर पर (यानी शरीअत के फत्वे के मुताबिक) और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है (कि जालिम कातिल से बदला ले) तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज़्यादती न करे कि वह मंसूर व फतहयाब है। (कुरआन–17:33)

हिंसा फसाद करने की इजाजत नहीं है। देखिए अल्लाह का यह आदेशः

लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और धरती में फसाद न करते फिरो।

(कुरआन–26:183)

जालिमों को अल्लाह की चेतावनीः–

जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इन्साफ करने का हुक्म देते हैं, उन्हें भी मार डालते हैं उनको दुख देने वाले अज़ाब की ख़ुश खबरी सुना दो।

(कुरआन 3:21)

सत्य के लिए कष्ट सहने वाले लड़ने मरने वाले ईश्वर की कृपा के पात्र होंगे, उसके प्रिय होंगे।

तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कुबूल कर ली। और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे की जिंस हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गये और अपने घरों से निकाले गये और सताये गये और लड़े और क़त्ल किये गये मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको (जन्नत) बहिश्तों में दाखिल करूंगा, जिनके नीचे नहरें बह हरी हैं। यह खुदा के यहां से बदला है और खुदा के यहां अच्छा बदला है।

(कुरआन– 3:195)

इस्लाम को बदनाम करने के लिए लिख लिख कर प्रचारित किया गया कि इस्लाम तलवार के बल पर प्रचारित व प्रसारित मजहब है। मक्का सहित सम्पूर्ण अरब व दुनिया के अधिकांश मुसलमान तलवार के ज़ोर पर ही मुसलमान बनाए गये थे, इस तरह इस्लाम का प्रसार जोर जबरदस्ती से हुआ।

जबकि इस्लाम में किसी को ज़ोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाने की सख़्त मनाही है। देखिए कुरआन मजीद में अल्लाह के ये आदेशः

और अगर तुम्हारा परवरदिगार यानी अल्लाह चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन यानी मुसलमान हो जाएं।

(कुरआन 10:99)

''शुरु अल्लाह का नाम ले कर जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयालु है।''

(ऐ पैगम्बर! इस्लाम के इन नास्तिकों से) कह दो कि ऐ इन्कारियो!

जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता।

और जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, उसकी तुम इबादत नहीं करते।

और मैं फिर कहता हूं कि जिनकी तुम पूजा करते हो, उनकी मैं पूजा करने वाला नहीं हूं।

और न तुम उसकी बन्दगी करने वाले मालूम होते हो, जिसकी मैं बन्दगी करता हूं।

तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर।

(कुर्आन–108:1–6)

ऐ पैग़म्बर अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें, तो कहना कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो खुदा के फरमाँबरदार अर्थात आज्ञाकारी हो चुके और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी (खुदा के फरमाँबरदार बनते और) इस्लाम लाते हो? अगर ये लोग इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पा लें और अगर तुम्हारा कहा न मानें, तो तुम्हारा काम सिर्फ खुदा का पैग़ाम पहुंचा देना है। और खुदा अपने बन्दों को देख रहा है।

(कुरआन– 3:20)

कह दो कि ऐ अहले किताब! जो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान एक ही (मान ली गयी) है, उसकी तरफ आओ, वह यह है कि खुदा के सिवा हम किसी की पूजा न करें और उसके साथ किसी चीज़

को शरीक (यानी साझी) न बनाएं और हममें से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज न समझे। अगर ये लोग (इस बात को) न मानें तो उनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम खुदा के फरमांबरदार हैं।

(कुरआन–3:64)

इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन की मनाही के साथ साथ इससे भी आगे बढ़ कर किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं है। देखए, अल्लाह का यह आदेशः

दीने इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। (कुरआन–2:256)

हाँ जो बुरे काम करे और उसके गुनाह (हर तरफ से) उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख (में जाने) वाले हैं। और वे हमेशा उसमें जलते रहेंगे।

(कुरआन–2:81)

पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल0 की जीवनी व कुरआन मजीद की इन आयतों के अध्ययन के बाद स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 की करनी और कुरआन की कथनी में कहीं भी आतंकवाद नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम की अधूरी जानकारी रखने वाले ही अज्ञानता के कारण इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं।

❖❖❖

पृष्ठ....18...का शेष

इसके कारणों के बारे में ईश्वर टोपा का कथन सुनिएः ''हिन्दुओं के अधिकार सुरक्षित थे लेकिन इस्लामी परम्परा के अनुसार किसी इस्लामी हुकूमत के अन्दर मुसलमानों की आबादी में हिन्दुओं को मन्दिर बनाने का अधिकार न था। तुग़लकपुर, सालेहपुर और गोहाना को स्वयं फ़िरोज़शाह ने आबाद किया था। इसलिए जब वहां हिन्दुओं ने मन्दिर बनाए तो उनको अवश्य तुड़वा दिया। फिर उसका कारण भी था कि यह मन्दिर बुराईयों के अड्डे बन गऐ थे। उनके मेलों में हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित होते थे। औरतें भी आती थीं, इसलिए यह मन्दिर पूजाघर के बजाए शैतानियत के केन्द्र बन गए थे। इसलिए फ़िरोज़शाह ने इस्लामी और नैतिक भावना के अन्तर्गत आचरण बिगाड़ने वाले अड्डों को तुड़वा दिया। यह अलग प्रश्न है कि फ़िरोज़शाह को जनता की अनैतिकता दूर करने का अधिकार था या नहीं, वास्तविकता यह है कि फ़िरोज़शाह ने जो कुछ किया था, उसमें धार्मिक दीवानगी को दखल न था, बल्कि मात्र जनता के चरित्र को संवारने के लिए ऐसा किया था, यदि उसमें मन्दिरों को ढाने की भावना होती तो हिन्दुस्तान के सभी मन्दिरों को ढा देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि ज़िम्मियों के अधिकारों को देखते हुए शेष सभी मन्दिर सुरक्षित रहे।''

ईश्वर टोपा के इस विचार की पुष्टि फुतूहात–ए–फ़िरोज़शाही से भी होती है। स्वयं फ़िरोज़शाह का कथन है कि उन मन्दिरों को ढाते समय उसका आदेश था कि सामान्य हिन्दुओं को किसी तरह का दण्ड न दिया जाए।

यदि भेदभाव रहित हो कर गहरा अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि जब किसी ज़माने में कहीं मन्दिर गिराए गये तो उसका कारण धार्मिक पक्षपात या दीवानगी नहीं रही, बल्कि या तो उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करने या उसकी राजनीतिक केन्द्रियता को नष्ट करने या उनके बुरे चरित्र को दूर करने के लए किया गया। युद्ध के अवसर पर हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के पूजा स्थलों को हानि पहुंचाने में संकोच न करते, ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे कि हिन्दुओं ने मस्जिदों को शहीद करके उनकी जगहों पर मन्दिर बनवा डाले। लेकिन उनमें भी यह धार्मिक दीवानगी न थी बल्कि इसकी बजाए इसके कारण राजनैतिक और युद्ध होते और सैनिक आक्रमण के बाद में पूजा स्थल भी आते रहे।

.....जारी.....

❖❖❖

बहुत देर कर दी मेहरबाँ आते आते

(बिलक़ीस बानो केस के २२ साल)

इं0 जावेद इक़बाल

3 मार्च 2002 का वह दिन कितना भयानक रहा होगा बिलक़ीस के लिए जब उसके सामने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की गई थी , उसकी छोटी सी बच्ची को पटक–पटक कर उसकी नजरों के सामने मारा गया था। आप कल्पना कीजिए क्या दृश्य रहा होगा। अच्छे अच्छों की जान निकल जाये यह देख कर। मगर जिसे अल्लाह रखे, उसकी कोई मसलहत थी कि ज़िन्दा बच गई वरना जालिमों ने कोई कसर तो न छोड़ी थी। उस समय वह 21 वर्षीय गर्भवती महिला थी। ग्यारह वहशी भेड़ियों ने उसके साथ वह दुष्कर्म किया जो कोई जानवर भी नहीं करता। ऐसी भयानक परिस्थिति में बिलक़ीस का बच जाना संभवतः हमारी न्याय प्रणाली, हमारी सरकार और हमारे समाज की सड़ाहिंद और बेहिसी को स्वंय हमारे सामने नंगा कर देने के लिए था। यदि बिलक़ीस की मृत्यु हो गई होती तो दुनिया को उन ग्यारह वहशी भेड़ियों के बारे में पता ही न चलता जिस तरह ऐसे ही कर्म करने वाले अन्य सैकड़ों भेड़ियों के दुष्कर्मों पर संस्कारी होने का पर्दा पड़ा हुआ है।

यह घटना 3 मार्च 2002 की थी, दिसम्बर 2003 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी जांच के आदेश सी0बी0आई0 महाराष्ट्र को दिये थे। इस जांच के आधार पर एक विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को ग्यारह लोगों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस्लामी शरीयत के अनुसार ऐसे जघन्य अपराध के लिए जिस में पूरे परिवार की हत्या भी शामिल हो मृत्यु दण्ड दे दिया जाता तो उसी समय क़िस्सा ख़तम हो जाता। मगर वर्तमान काल में मौत की सजा को क्रूरता और मानव अधिकारों का हनन समझा जाता है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा दुष्कर्मी जेल से छूट कर पुनः अपराधों की दुनिया में अपने जौहर दिखाने लगता है।

पाँच–छः वर्ष की न्याय प्रक्रिया के बाद आधा अधूरा जो इंसाफ बिलक़ीस को मिला था उसे अपराधियों की हिमायती सरकार ने 15 अगस्त 2022 को संस्कारी अच्छे आचरण वाले ब्राह्मण के आधार पर पलट दिया और सभी दुष्कर्मियों को रिहा कर दिया। गौर फरमाने योग्य है रिहाई की तारीख़ जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, प्रधानमंत्री लाल किला से नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहे थे। जेल से रिहाई के बाद दुष्कर्मियों के समर्थकों ने जिस तरह उन वहशियों का स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, मिठाइयां बांटी, वह सड़े हुए समाज की दुर्गंध को महसूस करने के लिए प्रर्याप्त है। केन्द्र सरकार की सहमति से गुजरात सरकार के द्वारा दी जाने वाली माफी पर पूरे देश के इंसाफ पसंद अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अमेरिकन कमीशन ने भी रिहाई के इस फैसले की निंदा की थी। मगर सरकारें जब स्वयं अपराधियों के साथ खड़ी हों तो एहतजाज का कोई असर नहीं होता।

आख़िरकार 30 नवंबर 2022 को पुनः सुप्रीम कोर्ट में बिलक़ीस तथा अन्य के द्वारा याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि समय से पहले अपराधियों की रिहाई से न्यायप्रिय लोगों की आत्मा को ठेस पहुंची है। कौन जाने कि मजलूम बिलक़ीस के मन पर उस दिन क्या गुजरी होगी और वह अकेले में कितना रोई होगी और कितना तड़पी होगी। जिस न्याय को पाने के लिए उसने छः साल कोर्ट कचहरी की खाक छानी थी वह संस्कारी भेड़ियों की सरपरस्त सरकार ने अपने एक नव निर्मित कानून का सहारा लेकर उच्च न्यायालय के आदेश को धूल चटा दी थी। जबकि यह गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था।

7 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय ने बिलकीस बानो तथा अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 12 अक्तूबर 2023 को ग्यारह दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 7 जनवरी 2024 तक न जाने किस कारण फैसला सुरक्षित रहा और फिर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी ग्यारह दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा जेल से रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया और अपने फैसले में

आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर मुजरिमों को आत्मसमर्पण कर देना होगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए माना है कि इतना अधिक समय बीत जाने के बाद पीड़िता का कोई भला होने वाला नहीं, जो हो चुका वह हो चुका, परिस्थितियों को पूर्ववत लौटाया नहीं जा सकता। अब सजा का मकसद अपराधियों को सुधरने का अवसर देना मात्र है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया क्योंकि रिहाई के फैसले के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने सरकार पर एक दोषी के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द किए जाने और उन्हें पुनः आत्मसमर्पण का आदेश पारित होने के बाद बिलक़ीस बानो ने कहा कि कई महीनों के बाद आज मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है, मुझे लग रहा है जैसे मेरे सीने पर एक पहाड़ था जो आज हट गया है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए उसने कहा कि मेरी इच्छा है सभी पीड़ितों को न्याय मिले और शीघ्र मिले।

सभी विपक्षी पार्टियों के लीडरों ने इस फैसले का स्वागत किया है और न्याय की जीत पर संतोष व्यक्त किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह फैसला भविष्य में सभी दुष्कर्मियों के ख़िलाफ़ एक मिसाल के रूप में काम करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार और गुजरात की राज्य सरकार दोनों से यह मांग भी की है कि वे बिलक़ीस बानो से माफी माँगें।

❖❖❖

बिलक़ीस बानो केस में कब क्या हुआ?

- **3 मार्च, 2002:** गुजरात दंगों के दौरान जब बिलक़ीस बानो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में पैदल जा रही थीं, तो अहमदाबाद के रंधकपुर में भगवा तत्वों की एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, और उनकी दूध पीती बेटी का सिर दीवार से टकरा कर बेदर्दी से मार दिया। परिवार के सदस्यों को क़त्ल किया और बिलक़ीस को सामूहिक बलातकार के बाद मृत अवस्था में छोड़ दिया गया।
- **दिसम्बर, 2003:** लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।
- **21 जनवरी, 2008:** को महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने 11, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- **मई, 2017:** बाम्बे हाई कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा के ख़िलाफ़ अपराधियों की अपील खारिज कर दी।
- **23 अप्रैल, 2019:** सुप्रीम कोर्ट ने गुज़रात सरकार को निर्देश दिया कि वह बिलक़ीस बानो को 50 लाख रूपये हर्जाना अदा करे।
- **13 मई, 2022:** सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस के एक अपराधी की शीघ्र रिहाई की याचिका पर गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की नीति के तहत सुनवाई करने का आदेश दिया।
- **15 अगस्त, 2022:** गुजरात सरकार की आम मॉफी नीति के तहत समस्त 11, दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया।
- **30 नवंबर 2022:** बिलक़ीस बानो ने गुजरात सरकार के अपराधियों को मॉफ करने और रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि समय से पहले रिहाई ने समाज की चेतना को झकझोर के रख दिया है''।
- **17 दिसम्बर, 2022:** सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके 13 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी इस फैसले में आरोपियों को बरी कर दिया गया और रिहाई के फैसले का अधिकार गुजरात सरकार को दिया गया था।
- **27 मार्च, 2023:** बिलक़ीस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
- **7 अगस्त, 2023:** अपराधियों की रिहाई के खिलाफ़ बिलक़ीस बानों की याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरु हुई।
- **12 अक्तूबर, 2023:** सुप्रीम कोर्ट में 11 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
- **08 जवरी, 2024:** सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11, अपराधियों को दोषी ठहराया और माफ़ी रद्द कर दी, इसके साथ ही सभी अपराधियों को 2 हफ़्ते में आत्म समर्पण के निर्देश भी दिए।

❖❖❖

कारोबार में ईमानदारी

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

लगभग तेरह चौदह वर्ष पहले की बात है। यूनुस बिन उबैद एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। व्यापार के क्षेत्र के वह बड़े कारोबारी थे। उन्होंने 30 हज़ार की रक़म का रेशम खरीदा, मगर बाज़ार में कुछ ऐसी उथल पुथल मची की बिजनेस मैन की चाँदी हो गई। दाम ऐसे बढ़े कि वह आसमान से बातें करने लगे। एक के पाचास मिलने लगे, मानो बिल्ली के भाग में छींका टूटा।

लेकिन हज़रत यूनुस को ये बात खटक गई। वह चाहते तो माल को कुछ दिन और रोक कर लाखों के वारे न्यारे कर सकते थे, लेकिन उनके सिद्धान्तों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। बल्कि हज़रत यूनुस उसके यहां जा पहुँचे जिससे रेशम खरीदा था और उससे पूछा क्या तुम्हें रेशम के भाव बढ़ने की सूचना थी? वह बोला नहीं, यदि मालूम होता तो इतने कम भाव में क्यों बेचता। यूनुस रह0 ने कहा, सच कहते हो, ऐसा करो कि तुम अपना माल ले जाओ, मैं तुम्हारी बेखबरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। चूंकि हज़रत यूनुस अपनी पवित्र जीविका के सम्बन्ध में इतनी एहतियात बरतते कि उन्हें अपना ये कर्म भी धोखे के समान लगा।

वह कुशल व्यापारी थे, उन्हें बिजनेस के सारे फण्डे आते थे। कारोबार की दुनिया में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, मगर उनके दिल में ये घर कर गया कि जिससे माल खरीदा है, बेचारा! उसका नुकसान न हो, जबकि हक़ीक़त तो ये थी कि उसको कोई नुकसान न था, हाँ ये ज़रूर था कि वह माल जब भाव चढ़ा तब बेचता तो उसको कई गुना फायदा होता। बस यही बात उस व्यापारी को फायदा कम हासिल हुआ तो अपना माल वापस करके उसका फायदा करने की ठान ली। हालांकि दूसरी तरफ़ ये भी वास्तविकता है कि इस्लाम में जमाखोरी को सख़्त नापसन्द किया गया है। पवित्र हदीस में है कि– जमाखोरी केवल खताकार करता है। (इब्ने माजा)

इसी तरह एक और जगह हज़रम मुहम्मद सल्ल0 की हदीस है कि ''व्यापार करने वाला रोज़ी पाता है और जमाखोरी करने वाला लानत का पात्र है। (इब्ने माजा)

इस्लाम में एक ओर व्यापारियों के कृत्यों को हतोत्साहित किया गया है तो दूसरी ओर उनके अच्छे कार्यों की प्रसंशा की गई है। पवित्र हदीस हज़रत मुहम्मद सल्ल0 से वर्णित है कि सच्चा, अमानतदार व्यापारी क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। (इब्ने माजा)

आवश्यकता है कि लोगों को बुराई और बुरे कामों से बचाया जाए और अच्छे कामों के प्रति उत्साहित किया जाए। आज बहुत से कारोबारियों के दिमाग़ में ये बात घुस गई है कि जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे और मक्कारी नहीं करेंगे तब तक बिजनेस में सफल नहीं होंगे, जबकि सच्चाई इसके उलट है कि अनगिनत कारोबारी सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते ही सफल हुए। संभव है कि झूठ के सहारे सफलता मिल जाए मगर ये अस्थायी और क्षणिक होगा और सबसे बड़ी बात कि रब नाराज़ होगा।

आज देश में जो मंहगाई और जमाखोरी की बीमारी फैली है, उसका कारण यही है कि लोगों में नैतिकता समाप्त हो गई है। रब अल्लाह का भय मिट चुका है, अनेक स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था लुटेरों के शिकंजे में फंसी हुई है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित, खुशहाल और अमन चैन की बगिया बने तो नैतिकता को घुट्टी बना कर पीना और मानवता को सीने से लगाना होगा। अन्यथा हमें आगे भयावह स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।

हज़रत यूनुस बिन उबैद रह0 का क़िस्सा लिखने का उद्देश्य यही है कि हम ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता और इन्सानियत के साथ बिजनेस करें तो उसका बड़ा सवाब और पुण्य है और सबसे बड़ी बात कि ईमानदारी से किया गया कारोबार देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत और देश को खुशहाल बनाता है।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः कुछ अहले ख़ैर हज़रात चाहते हैं कि ज़कात के पैसों से मकानात बना कर ग़रीबों को दे दिये जाएं, क्या इस प्रकार मकानात बनाने में ज़कात का पैसा इस्तेमाल करने से उनकी ज़कात अदा हो जाएगी?

उत्तरः ज़कात के पैसों से ग़रीबों के लिए मकान बनाना और उन मकानात को निःशुल्क उनके हवाले कर देना दुरुस्त है और उससे ज़कात अदा हो जाएगी।

प्रश्नः क्या ग़ैर मुस्लिम ग़रीबों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है या नही? गैर मुस्लिम बे घर लोगों को अगर ज़कात के पैसे से मकान बना कर दे दिया जाए तो उससे ज़कात अदा होगी या नहीं?

उत्तरः ज़कात की हैसियत एक इबादत की है और उसकी अदायगी के लिए जो शर्तें हैं, उनमें एक शर्त यह है कि ज़कात किसी ग़रीब मुसलमान को दी जाए, सही बुखारी की रिवायत में है कि मुसलमानों के मालदारों से ज़कात ली जाए और उन्हीं के गरीबों में बाँट दी जाए, इसलिए गैरमुस्लिम ग़रीब को ज़कात देना ठीक नही है, हाँ उनकी मदद सद्के की रक़म से की जा सकती है और उन पैसों से मकान बना कर देना भी सही है।

प्रश्नः ज़कात की रक़म से ग़रीब बच्चियों की शादी कराना सही है या नहीं? आजकल कुछ तंज़ीमें इसी उद्देश्य से क़ायम की जाती हैं, वह ज़कात जमा करती हैं और ग़रीब बच्चियों की शादियाँ उससे कराती हैं, क्या यह सही है?

उत्तरः ज़कात वसूलने वाली तंजीमें अगर ग़रीब बच्चियों या उनके अभिभावकों को शादी के लिए ज़कात की रक़म दे दें और उन पैसों को वह शादियों में खर्च करें तो यह सही है और ज़कात अदा हो जायेगी।

प्रश्नः कुछ मुसलमानों ने चिकित्सा सहायता के लिए एक फण्ड क़ायम किया है, उसमें ज़कात की रक़में जमा की जाती हैं ताकि बीमारों को इलाज के लिए सहायता दी जाए, क्या उस फण्ड में ज़कात की रक़म दी जा सकती है या नहीं? और देने से ज़कात अदा होगी या नहीं, चिकित्सकीय सहायता में दवा, चेकअप और दूसरे खर्चे शामिल हैं?

उत्तरः अगर मरीजों की चिकित्सकीय सहायता इस फण्ड से की जाये तो उसमें ज़कात दी जा सकती है और ज़कात अदा हो जायेगी, ज़कात की आदायगी के लिए मुस्तहिक को पैसा देना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उस रक़म से दवा इलाज कराया जा सकता है। (मब्सूत लिल सरखसी 1/203)

प्रश्नः ज़कात की रक़म रिफाहे आम (सामान्य कल्याण) के कार्यों में खर्च की जा सकती है या नहीं? जैसे नल या समरसेबल लगाना या पंचायत घर बनाना आदि ?

उत्तरः ऊपर उल्लेखित कार्यों में ज़कात की रक़म खर्च करना दुरुस्त नहीं है, हाँ! अगर गरीबों को ज़कात की रक़म दे दी जाए और वह अपनी खुशी से उल्लेखित चीज़ों में खर्च कर दें, तो यह दुरुस्त है।

(फतावा हिन्दिया 2/473)

प्रश्नः क्या नाना अपने नवासे नवासियों को या दादा अपने पोते पोतियों को ज़कात की रक़म दे सकता है?

उत्तरः स्पष्ट रहे कि किसी व्यक्ति का अपने माँ–बाप, दादा दादी, नाना, नानी आदि, इसी

प्रकार अपनी औलाद और उनकी नस्ल यानी पोता, पोती, नवासा नवासी आदि को, और इसी प्रकार मियाँ बीवी का एक दूसरे को ज़कात देना जायज़ नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति का अपने नवासे, नवासियों या पोते पोतियों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, इससे ज़कात अदा नही होगी।

प्रश्न: क्या खुसर अपनी बेवा बहू को ज़कात दे सकता है?

उत्तर: जी हाँ! अगर बहू (जेवरात वगैरह की वजह से) साहिबे निसाब न हो और वह सय्यद खानदान से भी न हो तो खुसर उसे अपनी ज़कात दे सकता है, क्योंकि खुसर बहू के मध्य ऐसा रिश्ता नहीं होता कि कोई एक दूसरे को ज़कात न दे सके।

प्रश्न: एक व्यक्ति की बीवी को माहवारी (मासिक धर्म) नहीं आई चेकअप से मालूम हुआ कि वह गर्भवती हो गई है अभी एक साल की छोटी बच्ची गोद में है जिसकी परवरिश भी करनी है और आगे घर में शादी का प्रोग्राम भी फिक्स हो चुका है, क्या ऐसी सूरत में गर्भपात करा सकते हैं?

उत्तर: घर में शादी आदि का प्रोग्राम होना यह कोई शरई उज्र (रुकावट) नहीं है इसकी बिना पर गर्भपात की इजाज़त नहीं, अगर बीवी स्वस्थ हो और माँ का दूध बंद हो जाने से एक साला बच्ची का स्वास्थ्य और पालन पोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो तो इस सूरत में भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए, हाँ अगर बीवी बहुत कमज़ोर हो और उसकी सेहत ठीक न रहती हो और दोबारा जल्द बच्चे की पैदाइश की सूरत में कोई बुरा असर पड़ता हो तो इस कंडीशन में गर्भ के चार माह होने से पूर्व गर्भपात कराया जा सकता है, इसकी शरीयत में गुंजाइश है।

प्रश्न: मैंने घर खरीदने के लिए कुछ रक़म क़र्ज़ के तौर पर अपनी कम्पनी से पांच महीने पहले लिए हैं, उनकी कुछ किस्तें अदा कर चुका हूँ मगर अब तक घर नहीं खरीद सका हूँ, अभी तक यह रक़म मेरे पास है, क्या इस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं?

उत्तर: कम्पनी का जितना क़र्ज़ अभी बाकी है उस पर ज़कात नहीं, बाकी जो रक़म आपके पास है अगर वह ज़कात के निसाब से ज़ायद है तो उस पर ज़कात वाजिब है।

प्रश्न: अगर मैं 1/रमज़ान को ज़कात का हिसाब करता हूँ और 30 शाबान को मुझे सेलरी मिली तो क्या उस सेलरी की रक़म पर भी ज़कात देनी होगी?

उत्तर: जी हाँ! अगर आप पहले से साहिबे निसाब हैं और आपके माल पर एक साल भी गुज़र चुका है तो जो रक़म 30 शाबान को मिली है वह भी ज़कात में शामिल होगी और उसकी भी ज़कात निकालना आप पर अनिवार्य होगा, बस शर्त यह है कि सेलरी की रक़म जायज़ आमदनी की हो।

प्रश्न: अगर मैं अपने बहनोई, मामूं या किसी करीबी अज़ीज़ को अपनी ज़कात देता हूं तो क्या उनके घर जा कर खाना खाया जा सकता है, खाने में कोई मसला तो नहीं?

उत्तर: आप अपने बहनोई मामूं या ऐसे दीगर अज़ीज़ों के घर जा कर खाना खा सकते हैं कोई क़बाहत नहीं।

प्रश्न: नाबालिग बच्चे या बच्ची पर ज़कात फर्ज़ नहीं, तो क्या वालिदैन के पास अगर कुछ रक़म जमा है तो वह उन पैसों का बच्चे या बच्ची के नाम का सोना खरीद कर रख लें और उसको इस्तेमाल न करें तो क्या इस सोने पर ज़कात होगी?

उत्तर: अगर बच्चा या बच्ची नाबालिग है और वालिद या बच्चे के अभिभावक ने बच्चे के लिए सोना बनवाया, चाहे वह सोना बच्चे की रक़म से बनाया जाय या स्वयं की रक़म से, वह बच्चे की मिल्कियत शुमार होगी और उस पर ज़कात लाज़िम नही होगी।

❖❖❖

शाबान, रमज़ान की प्लानिंग का महीना

जमाल अहमद नदवी
(उप सम्पादक)

''शाबान इस्लामी साल का आठवाँ महीना है'' शाबान एक अरबी शब्द है, और अरबी शब्द कोश में ''शअब'' के माने फैलने और शाख दर शाख होने के हैं क्योंकि यह महीना रहमतों के फैलने का है इसलिए इसको शाबान कहा जाता है। रमजानुल मुबारक इसके तुरंत बाद आता है, इसलिए हुजूर अक़्दस सल्ल0 रजब का चाँद देखते ही दुआ फरमाने लगते किः ऐ अल्लाह! हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमारे लिए रमजान में भी बरकत अता फरमा।

इस महीने की इज़्ज़त व अज़मत को समझने के लिए इतना ही काफी है कि हुजूरे अक्दस सल्ल0 ने फरमाया ''रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है, और शाबान गुनाह से दूर करने वाला है और रमजान का महीना आदमी को गुनाहों से पाक सॉफ करता है।

लेकिन अफ़सोस कि शाबान के आते ही लोग कहने लगते हैं कि शबे बरात आ गई, घर–घर हलवे की तैयारी होने लगती है, और जिनके पास पैसा नहीं होता वह कर्ज़ ले कर इंतिज़ाम करने लगते हैं आतिश बाज़ी की तैयारी भी ज़ोरों पर होने लगती है और क़ब्रिस्तानों की साफ–सफाई व रंग रोगन भी होने लगता है और हर घर में यह मशहूर त्योहार पूरी चहल पहल और जश्न की सूरत पैदा कर देता है लेकिन इन तमाम रस्मों रिवाजों का शरीअते इस्लामी से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं और न कोई सही हदीस इसके बारे में मिलती है। आतिशबाजी, चरागाँ वगैरा ग़ैर इस्लामी रस्म है, जो मुस्लिम समाज में हिन्दुओं के साथ रहने सहने की वजह से दाख़िल हो गयी है यह हिन्दुओं के एक मशहूर त्यौहार दीवाली की नक़ल है, हदीस शरीफ में तो सिर्फ इतना ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम माहे शाबान में रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखा करते थे।

आइये देखते हैं कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस तरह रमजान की अहमियत को ध्यान में रखते हुए माहे शाबान से ही रमज़ान की प्लानिंग शुरु कर देते थे ताकि रहमत व बरकत के महीने का एक लम्हा भी बेकार न गुज़रे।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया रमज़ान के लिहाज़ से शाबान के चाँद को खूब अच्छी तरह गिनो। (तिर्मिज़ी)

एक दूसरी हदीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि0 से रिवायत है कि आप सल्ल0 शाबान के दिन और उसकी तारीखें जितने एहतिमाम से याद रखते थे उतने एहतिमाम से किसी दूसरे महीने की तारीखें याद नहीं रखते थे। फिर रमज़ान का चाँद देख कर रोज़े रखते थे और अगर (29 शाबान को) चाँद दिखाई न देता तो 30 दिन की गिनती पूरी कर के फिर रोज़े रखते थे।

(अबू दाऊद)

इन दोनों रिवायतों से आप सल्ल0 का रमज़ान के एहतिमाम की वजह से शाबान का चाँद देखने उसकी तारीखें याद रखने और चाँद देख कर ही रमज़ान के रोज़े शुरु करने

का ख़ास तौर से ज़िक्र है।

इसी तरह हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शाबान में सब महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते थे बल्कि पूरा शाबान रोज़े में गुज़रता था।

और एक रिवायत में है कि शाबान में कुछ ही दिन ऐसे होते थे कि आप सल्ल0 रोज़े से न हों। (बुख़ारी–मुस्लिम)

बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ की यह रिवायत जो हज़रते आयशा रज़ि0 के हवाले से है इसमें माहे शाबान में और महीनों से ज़्यादा नफ़्ली रोज़े रखने की तफ़्सील मिलती है बल्कि हदीस की एक रिवायत में है कि आप सल्ल0 करीब करीब पूरे महीने शाबान के रोज़े रखते थे और बहुत कम ही दिन नाग़ा फरमाते थे।

शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़्यादा नफ़्ली रोज़े रखने के कई सबब और हिक्मतें बयान की गयी हैं अतः हज़रत उसामा बिन ज़ैद की एक हदीस में है कि खुद रसूलुल्लाह सल्ल0 से इसके बारे में सवाल किया गया तो आप सल्ल0 ने फ़रमाया कि इसी महीने में बारगाहे इलाही में बन्दों के आमाल की पेशी होती है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल की पेशी हो तो मैं रोज़े से रहूँ।

और हज़रत आयशा रज़ि0 से एक हदीस बयान की गयी है जिसमें फ़रमाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े इसलिए रखते थे कि पूरे साल में मरने वालों की सूची इसी महीने में मलकुल मौत के हवाले की जाती है। आप सल्ल0 चाहते थे कि जब आप की वफ़ात के बारे में मलकुल मौत को हुक्म दिये जा रहे हों तो उस वक़्त आप रोज़े से हों।

इसके अलावा रमज़ान के क़रीब होने से उसके अनवार व बरकात से लगाव पैदा करने का शौक व जज़बा माहे शाबान के नफ़्ली रोज़े होंगे। और शाबान के उन रोज़ों की निस्बत, रमज़ान के रोज़ों से वही होगी जो फर्ज़ नमाज़ों से पहले पढ़ी जाने वाली नफ़्लों की फर्जों से होती है।

अब हम रमज़ान के आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिये हुए एक ख़ुत्बे का अनुवाद पेश करके अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं। जिसमें बड़ी तफ़्सील से आप के मामूलात का जिक्रे मुबारक है।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि0 से रिवायत है कि शाबान की आख़री तरीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम को एक खुत्बा दिया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः–

ऐ लोगो! तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना आ रहा है, उस मुबारक महीने की एक रात (जिसे शबे क़द्र कहा जाता है) हज़ार महीनों से बेहतर है उस महीने के रोज़े अल्लाह तआला ने फर्ज़ किये हैं और उसकी रातों में अल्लाह के सामने खड़ा होने (यानी तरावीह पढ़ने) को नफ़्ल इबादत मुकर्रर किया है (जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है)। जो शख़्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई ग़ैर फ़र्ज़ इबादत (सुन्नत–नफ़्ल) अदा करेगा तो उस को दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। यह सब्र का महीना है, और सब्र का बदला जन्नत है। यह हमदर्दी और सहानुभूति का

महीना है और यही वह महीना है जिसमें मोमिन बंदों की रोज़ी में बढ़ोत्तरी की जाती है। जिस ने इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मगफ़िरत और दोज़ख़ की आग से आज़ादी का ज़रीया होगा। और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जायेगा। बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाये।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह हम में हर एक को तो इफ़्तार कराने का सामान मयस्सर नहीं होता तो क्या ग़रीब लोग इस अज़ीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला यह सवाब उस शख़्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या सिर्फ पानी ही के एक घूँट से किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार करा दे, और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह तआला मेरे हौज़ से ऐसा पानी पिलायेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही न लगेगी यहाँ तक कि वह जन्नत में पहुंच जायेगा।

उसके बाद आप सल्ल0 ने फरमाया इस मुबारक महीने का पहला हिस्सा रहमत, बीच का हिस्सा मगफ़िरत, और आख़िरी हिस्सा दोज़ख की आग से आज़ादी है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने फरमाया जो आदमी इस महीने में अपने नौकर व ख़िदमतगार के कामों में कमी कर देगा अल्लाह तआला उसकी मग़फिरत फ़रमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा।

(शुअबुल ईमान)

प्रिय पाठको! जब फरवरी 2024 का ''सच्चा राही'' आपके हाथों में पहुंचेगा तो शाबान का महीना शुरु हो चुका होगा और रमज़ान बिल्कुल करीब होगा, इसलिए हर समझदार और अक़्लमंद व्यक्ति को चाहिए कि इस महीने की रहमतों और बरकतों को हासिल करने के लिए शाबान के महीने से ही गफ़लत को छोड़ कर माहे रमजानुल मुबारक की प्लानिंग करे और अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार करे और कुरआन की तिलावत के मामूल में इजाफ़ा करना शुरु कर दे अपने मालों की ज़कात व सद्क़ात से अपने गरीबों की देख भाल, और अपने समाज की बेहतरी के लिए क़ौम के बच्चों की तालीम–तरबियत को अपना मिशन बनाऐ और हर तरह की नेकियों को समेटने और अल्लाह को राजी करने के लिए अपने को तैयार करने की कोशिश करे।

अल्लाह करे कि हम सब के दिलों में इन हदीसों से कुछ सीख कर अमल करने का जज़्बा जाग उठे।

आमीन!

❖❖❖

प्रिय पाठको! सलाम मसनून

आपका प्यारा ''सच्चा राही'' आप की सेवा में बराबर भेजा जा रहा है, परन्तु बड़े खेद की बात यह है कि हमारे बहुत से पाठकों का वार्षिक चन्दा बाकी है, उनको बार-बार लिखा जा चुका है। कृप्या अपना चन्दा तुरन्त भेजें या न भेजने का कारण लिखें।

सम्पादक

अल्लाह अल्लाह किया करो

—ताबिश मेंहदी प्रतापगढ़ी

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

सबसे आला है अल्लाह
बरतरो बाला है अल्लाह
पल पल यह महसूस हुआ
कुदरत वाला है अल्लाह

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

शम्सो क़मर भी उसके हैं
बहरो बर भी उसके हैं
ज़र्रा ज़र्रा है उसका
संगो, शजर भी उसके हैं

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

दुनिया की रंगीन फ़ज़ा
करती है दिल का सौदा
लेकिन उसकी रहमत का
दरवाज़ा है सब पे खुला

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

कहते हैं दुनिया है गोल
है लेकिन यह डाँवा डोल
रहता है वह जिस दिल में
उसका नहीं है कोई मोल

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

जो चाहे वह करता है
कब वह किसी से डरता है
काफिर हो या हो मोमिन
सबकी झोली भरता है

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

ख़ान—ए—काबा देखा है
शहरे मदीना देखा है
पूरी दुनिया में हमने
उसका जलवा देखा है

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

रुतबा, आली शान दिया है
दीन दिया, कुरआन दिया
भेज के एक उम्मी रहबर
उसपे हमें ईमान दिया

अल्लाह अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

औरत को इस्लाम ने क्या दियाः-

इस्लामी कानून में औरतों को जो अधिकार दिये गए हैं उनकी सही कद्र व कीमत का अंदाजा उसी वक़्त हो सकेगा जब इस्लाम के अलावा दूसरे धार्मिक, सरकारी और राष्ट्रीय संविधानों की जानकारी हो, और दोनों के बीच तुलना की जाए, जैसा कि रौशनी की सही कद्र उसे हो सकती है जिसे अंधेरे से वास्ता पड़ा हो, या खाने की उपयोगिता का अनुमान वास्तव में वही लगा सकता है जो भूख और उपवास का शिकार रहा हो, इसलिए पहले हल्की सी झलक गैर इस्लामी कानून– व्यवस्था की दिखाना, और जाहिलीयत के ज़माने के उन तरीक़ों का जिक्र करना मुनासिब लगता है जो औरतों के बारे में दुनिया भर में प्रचलित थे ।

दुसरे धर्मों और राष्ट्रों से तुलनाः रोमन कानूनः–

हम यहाँ सब से पहले रोमन कानून का संक्षिप्त समीक्षा करते हैंः– जिसे आमतौर पर कानूनों का जन्मदाता और इंसानियत का रखवाला और इंसाफ का नुमाइंदा होने का यकीन किया और करवाया जाता है, और जो लंबे जमाने तक सारे पश्चिम और विशेषतः यूरोप में, संवैधानिक शासन करता रहा है। इस कानून में परिवार के मुखिया को परिवार के बाकी सदस्यों पर चाहे वो पत्नी हो या बहू, बेटे–बेटी हों या पोते पोती, खरीदने बेचने, हर तरह की तक्लीफ देने यहाँ तक कि कत्ल करने का भी अधिकार था, और पत्नी को विरासत से वंचित रखने का भी अधिकार प्राप्त था, लड़कियां मालिक होने का अधिकार नहीं रखती थीं ।

("अल–मरअतु बैनल फिक़्हि वल कानून", पृष्ठः 15–16)

"अल–तरकतु वल मीरास फिल इस्लाम" पृष्ठ 40–45)

यूनानी कानूनः–

यूनानी कानून में औरत की हैसियत मामूली सामान की थी, जिसकी बाजार में आजादी के साथ खरीद–फरोख्त होती, उसे न नागरिक अधिकार प्राप्त थे न आजादी, विरासत भी नहीं दी जाती थी, उसे नापाक समझा जाता था, पूरी जिंदगी वो किसी न किसी मर्द की मुसीबत में गिरफ्तार रहती, शादी से पहले अभिभावक के और शादी के बाद पति के जुल्म व ज़्यादती के पंजे में रहती, न अपने माल में इस्तेमाल का अधिकार रखती थी, न जान में , बाप अपनी बेटी को बेच देता था, और होने वाला पति उसे खरीदता था, उसके बाद पति को पूरा अधिकार होता था कि उसे चाहे अपनी पत्नी बना कर रखे या किसी और को सौंप दे।

(मदा जरीयतुज जौजैन, पृष्ठः27, अल–मरअतु बैनल फिक़्हि वल कानून", पृष्ठः 13)

ईसाई धर्मः–

जिसे दुनिया के अति सभ्य कहलाने वाले देशों में राष्ट्रीय धर्म की हैसियत प्राप्त है, इसका हाल और इसका रेकार्ड तो औरत के बारे में सबसे गया गुज़र है, इस बारे में गैर ईसाइयों ने नहीं खुद ईसाइयों ने जो विवरण बताया है वो नसीहत लेने के लिए काफी है, जैसे एक मशहूर दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर कहता है– "ग्यारहवीं और पंद्रहवीं सदी (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के लगभग आठ सौ साल बाद तक) इंगलैंड में आमतौर से पत्नियाँ बेची जाती थीं, ईसाई धार्मिक अदालतों ने एक कानून को प्रचलित किया जिसमें पति को ये हक था कि वो अपनी पत्नी किसी दूसरे को, जितने समय के लिए चाहे, उधार भी दे सकता है। उनमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक रिवाज ये था। जिसे एक तरह से कानून का दर्जा हासिल था)

शेष पृष्ठ .....35..पर

जहेज़ एक विनाशकारी प्रथा

इदारा

इस समय हमारा समाज तरह तरह के रस्म व रिवाज के बन्धनों में जकड़ा हुआ है, इन्सान उन बन्धनों से निकलने के लिए तैयार नहीं, उन बुरी रस्मों में तबाहकुन और विनाशकारी रस्म शादी के मौक़े पर जहेज़ का लेना और देना है, जिसकी वजह से हज़ारों ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, हज़ारों लड़कियाँ मौत के घाट उतारी जा रही हैं इसको जानने के लिए ज़्यादा गहरी इन्क्वारी की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी अख़बार को उठा कर देख लीजिए, जहेज़ न मिलने की वजह से कितनी लड़कियों को ज़िन्दा जला कर मार दिया जाता है। इस जुर्म में मुस्लिम और गैर मुस्लिम बराबर के शरीक हैं, मानवता के नाते हम सभी से अपील करते हैं कि समाज से इस बुरी रस्म को ख़त्म कीजिए इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसने ज़िन्दगी के हर मौक़े पर चाहे वह ख़ुशी का हो या गम का, क्या करना है और क्या नहीं करना विस्तार से इसके आदेश दिए हैं।

इस्लामी दृष्टिकोण से मर्द की ज़िम्मेदारी है कि जब वह शादी करके अपना घर बसाना चाहता है तो सबसे पहले अपने घर की ज़रूरत का सामान फ़राहम करे, तब वह अपनी बीवी को घर लाए, नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरी उम्मत के लिए और तमाम इन्सानों के लिए नमूना और आदर्श हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तै किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ि0 से पूछा अली! तुम्हारे पास क्या है हज़रत अली रज़ि0 ने जवाब दिया कि मेरे पास एक ''ज़िरह'' है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया उसे फ़रोख़्त कर दो और उसकी आधी रक़म से घरेलू सामान ख़रीद लो और आधी रक़म से ''महर'' अदा कर दो, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 10, 11 निकाह किए लेकिन नबी की कोई बीवी अपने घर से कोई सामान ले कर नहीं आईं, यह तरीक़ा सिर्फ नबी ही का नहीं बल्कि सहाबा, ताबिईन और तबअ़ ताबिईन का भी था, बाद के मुसलमानों ने दूसरी कौमों से प्रभावित हो कर और उनकी देखा देखी जहेज़ की रस्म अपनाई, यह बात याद रखिए इस्लाम ने बेटियों और बहनों को विरासत में हिस्सा देने का आदेश दिया है जिसको मुसलमानों ने भुला दिया, कुरआन में विरासत के अहकाम बहुत खुले हुए और तफ़सील के साथ हैं, लेकिन जहेज़ के लेने देने का कोई हुक्म नहीं है। जहेज़ और शादी की बुरी रस्मों की वजह से मुस्लिम घराने लाखों के कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह व रसूल के हुक्मों को तोड़ने की वजह से ख़ैर व बरकत ख़त्म हो जाती है और खानदानों में अदावत व दुशमनी का माहौल बनता है, अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी वह है जिसमें माली बोझ कम से कम हो'' (मिशकात)।

शरीअ़ते इस्लामी ने निकाह और शादी के मसले को जितना आसान बनाया, मुसलमानों ने उसको रस्म व रिवाज की ज़नजीरों में जकड़ कर उतना ही दुशवार बना दिया है, इस्लाम ने लड़की वालों पर किसी क़िस्म का बोझ नहीं डाला अलबत्ता लड़के पर हैसियत के मुताबिक ''वलीमा'' और बीवी के महर और नान नफ़क़ा यानी रोटी, कपड़ा, मकान आप की ज़िम्मेदारी डाली है। लेकिन इन सब कामों में फ़ुजूल ख़र्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा है।

शादी के सिलसिले में निम्नलिखित फ़ुजूल ख़र्चियाँ होती हैंः–

शादी से पहले मंगनी के नाम से एक तक़रीब होती है

जिसमें पूरी बारात जाती है, जाने वालों को पूरा शादी वाला खाना खिलाया जाता है, वापसी में हर जाने वाले को क़ीमती तोहफ़ा दिया जाता है।

शादी की तारीख़ तै होने के बाद बड़ी संख्या में क़ीमती से क़ीमती शादी के दअ़वत नामे तक़सीम किये जाते हैं।

शादी के दिन बारातियों की एक फ़ौज़ लड़की वालों के यहां जाती है, फ़रमाईश के साथ खानों की बराइटीज़, जिसकी वजह से खाने की बरबादी ख़ूब होती है, जहेज़ की डिमाण्ड इतनी ज़्यादा कि मार्केट की कोई चीज़ छूटने न पाये बहुत सा अनावश्यक सामान जो शायद कभी काम में न आए, इन सारी फ़ुजूल ख़रचियों में जो जज़्बा और भावना है, वह केवल नुमाइश और दिखावा, लड़की वालों पर प्रेशर और दबाव बनाना, इन सबसे बढ़ कर किसी की मजबूरी से नाजाएज़ फाइदा उठाना, मानवता और नैतिकता के दृष्टिकोण से जुर्म है, यह ऐसे ही हुआ कि किसी के घर डाका डाला जाए और कूवत ताक़त के बल पर उसके घर का सामान उठवा लिया जाए, शादी की फ़ुजूल ख़र्चियों में हज़ारों और लाखों रूपयों में मैरिज हालों का बुक कराना भी है, इन फ़ुजूल खर्चियों का वबाल पूरी मुस्लिम क़ौम भुगत रही है और ज़लील हो रही है।

ख़ुदा ने आज तक उस क़ौम की हालत नहीं बदली जिसे ख़ुद ख़याल न हो, अपनी हालत के बदलने का

जो लोग ज़ुल्म ज़्यादती और दबाव बना कर जहेज़ प्राप्त करते हैं वह कठोर दिल वाले लोग हैं, अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा–

करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर
ख़ुदा मेहरबान होगा अरशे बरीं पर

❖❖❖

पृष्ठ .....33..का शेष

किसी किसान की नई नवेली दुल्हन को धर्मगुरु या शासक को चौबीस घंटे तक अपने इस्तेमाल में रखने और उस के शरीर से आनंद लेने का हक हासिल था। (अल–मरअतु बैनल फिक़्हि वल कानून", पृष्ठः 211)

और तो और सोलहवीं सदी (1567 ई0) में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के लगभग एक हज़ार साल बाद स्कॉटलैंड के संसद ने ये कानून पास किया था। औरत को किसी भी चीज की मिल्कियत का हक हासिल नहीं होगा, और इन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक कानून ब्रिटेन के संसद ने मंजूर किया जिसमें औरत के लिए बाइबल पढ़ना हराम करार दिया।
(अल–मरअतु बैनल फिक्हि वल कानून", पृष्ठः 211)

इस कानून का जिक्र करने के बाद डॉक्टर सबाई साहब ने तुलना करते हुए सही लिखा है कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अंहु की खिलाफत के जमाने में कुरआन को जमा करके एक किताब तैयार किया तो वो हज़रत हफसा रजियल्लाहु अन्हा के पास सुरक्षित किया गया, जाहिर है वो औरत थीं। सबसे बढ़ कर अजीब बात ये खुलासा है कि 1805 ई 0 तक ब्रिटेन के कानून के अनुसार पति पत्नी को बेचने का पूरा अधिकार रखता और कानूनी रूप से उसकी कीमत भी निर्धारित की गई थी, वो इतनी कम थी कि उसका उल्लेख शर्म के काबिल है, यानि सिर्फ छः पेन्स ।
(अल–मरअतु बैनल फिक्हि वल कानून", पृष्ठः 21)

इसके साथ एक और ईसाइ यूरोपी देश फ्रांस में एक कांफ्रेंस का हाल या रिपोर्ट दिल पर पत्थर रख कर सुन लीजिए जिस में इस बात पर बहस हुई कि औरत इंसान है या जानवर की कोई और प्रजाति? यद्यपि अंत में ये तै पाया कि वो है इंसान ही ।
(मआरिफुल कुरआन जिल्द 1, पृष्ठः 549)

इसके अलाव ईसाई धार्मिक कानून के अनुसार औरत विरासत से हर हाल में वंचित ही रहती थी, बल्कि अक्सर औलाद में भी सिर्फ बड़ा लड़का ही (विरासत पाने का) हक रखता था।

❖❖❖

जीवन के अंधियारे पथ में

—इदारा

सत्य धर्म अपनाओ बन्धु, सत्य धर्म अपनाओ।
मानवता के प्रेमी बनकर, मानव तुम कहलाओ।।

भूले–भटके इन्सानों को, सत्य मार्ग दिखलाओ।
जीवन के अंधियारे पथ में, मार्गदीप बन जाओ।।

एक ईश्वर की करो वन्दना, उसके ही गुण गाओ।
उसके ही मार्ग पर चलकर, जीवन सफल बनाओ।

जन–जन की सेवा करके, अपना जीवन सफल बनाओ।।
जीवन के अंधियारे पथ में, मार्गदीप बन जाओ।।

चहुँदिशा हाहाकार मचा है, पीड़ित है जनता सारी।
सबको है मतलब से यारी, क्या नौकर क्या व्यापारी।।

अत्याचार मिटाओ जग से, एक सभी हो जाओ।
जीवन के अंधियारे पथ में, मार्गदीप बन जाओ।।

उठो 'मुजाहिद', मिल–जुलकर, अब ऐसा चक्र चलाओ।
नव निर्माण करो, पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ।।

ईश्वर का सन्देश, जगत के घर–घर में पहुँचाओ।
जीवन के अंधियारे पथ में, मार्गदीप बन जाओ।।

❖❖❖

अंतरिक्ष यान ''पार्कर'' की छः वर्षीय ऐतिहासिक यात्रा

इदारा

नासा का एक राकेट पिछले पाँच वर्षों से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का विचार है कि इस साल के अन्त में वह अपना 96 प्रतिशत सफ़र पूरा करके सूर्य के बहुत क़रीब पहुंच कर बाहरी वायुमण्डल में प्रवेश करेगा, यह उतना ही महत्वपूर्ण और बड़ा रिकार्ड होगा जितना इन्सान ने 20 जुलाई 1969 ई0 में चाँद पर अपना पहला क़दम रख कर बनाया। नासा ने ''पार्कर'' नामी अंतरिक्ष यान 12 अगस्त 2018 ई0 को सूर्य की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना की थी, ''पार्कर'' में वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए हैं जो सूर्य के वातावरण, वहां के तापमान और सूरज से निकलने वाली चुंम्बकीय लहरों की गति, पैमाइश और विभिन्न प्रकार का डेटा इकटठा करके ज़मीनी केन्द्रों को रवाना करेंगे, ज़मीन से सूरज की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज की रौशनी ज़मीन तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सिकेन्ड लगते हैं। जब सूरज की पहली किरन ज़मीन की सतह से टकराती है तो वास्तव में उस समय सूरज उस स्थान पर मैजूद नहीं होता जब पहली किरन ने अपना सफ़र शुरु किया था, अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञों ने बताया है कि 2024 ई0 के आखिर तक ''पार्कर'' 60 लाख किलो मीटर से अधिक दूरी तै करने के बाद सूरज की दहकती हुई ऊपरी तहों के बहुत करीब पहुँच जाएगा जो एक नया रिकार्ड होगा, सूरज आग का दहकता हुआ बहुत बड़ा गोला है जिसमें एटमों की टूट–फूट से बेपनाह तापमान और रौशनी पैदा हो रही है। सूरज का एक ताक़तवर चुम्बकीय मैदान का यह ज्वार भाटा ज़मीन के ट्रान्सपोर्ट सिस्टम समेत कई चीज़ों को प्रभावित करता है। सूरज की सतह का तापमान 10 हज़ार डिग्री फारन हाईट से ज़्यादा है। जब कि आश्चर्य जनक तौर पर सूरज का ऊपरी वातावरण उसकी सतह के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा गर्म है नासा की अंतरिक्ष यान ''पार्कर'' का सफर न केवल अंतरिक्ष अनुसंधानों में एक विशेष स्थान रखता है बल्कि उसकी रफ़्तार भी अविश्वसनीय सीमा तक ज़्यादा है। आप को यह जानकर अवश्य हैरानी होगी कि ''पार्कर'' 7 लाख किलो मीटर प्रति घण्टा की रफ़्तार से उड़ रहा है। इस तेज़ रफ़्तारी का अन्दाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर उसे न्यूयार्क टोकियो भेजा जाए तो यह केवल एक मिनट में वहां पहुंच जाएगा, इन्सान की बनाई हुई किसी गाड़ी की यह रफ़्तार अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा रफ़्तार है।

❖❖❖

फलसतीन!

फलसतीन वैसे ही अरबों का है, जैसे कि इंग्लैण्ड अंग्रेज़ों का है, और फ्रांस फ्रांसीसियों का। यहूदियों को अरबों पर थोपना ग़लत है, अमानवीय है।

(महात्मा गांधी, नवंबर 1938)

फ़िलिसतीनियों की दृढ़ता और प्रतिरोधी कार्यवाई

मु0 जमील अख़तर नदवी

तूफ़ानुल अक़्सा के परिणाम स्वरूप इसराईल की ओर से लगातार जारी आक्रामकता को लगभग तीन माह गुज़र चुके हैं। जिसमें फ़िलिसतीनियों की दृढ़ता और धैर्य और इस्राईल की हार और नाकामी को दुनिया अपनी खुली आँखों से देख रही है। फ़िलिसतीनियों की ओर से ऐसी शानदार प्रतिरोधक कार्यवाई हुई कि दुनिया हैरान और परेशान है, लेकिन एक मुसलमान उसे अल्लाह तआला की खुली मदद समझता है। फ़िलिसतीनियों ने दुनिया के सामने उस मुल्क के ''ढोल के अन्दर का पोल'' दिखला दिया जिसे दुनिया के सामने अजेय समझा जाता था। बेशक इन फ़िलिसतीनियों के विषय में कहा जा सकता हैः—

हज़ार बर्क़ गिरे, लाख आँधियाँ उठें।
वह फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।।

''अल—अक्सा'' फ़ील्ड आपरेशन अब भी यहूदी अस्तित्व के अन्दर अपना रणनीतिक प्रभाव डाल रहा है जिसके महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव और परिणाम होंगे, जिसका गहरा असर हर प्रकार से यहूदी अस्तित्व के भविष्य पर पड़ेगा, इस आपरेशन की गहराई और प्रभावशीलता हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है।

''अल—अक़्सा'' फ़ील्ड आपरेशन'' ने फ़िलिसतीनी समस्या में वैश्विक रुचि को पुनर्जीवित किया, जिससे फ़िलिसतीन और फ़िलिसतीनी जनता की मांगों और अधिकारों को पुनः विश्व एजेण्डे पर लाने में सफलता मिली, जो ओसलो संधि के बाद विश्व स्तर पर दब चुका था, इस आपरेशन का परिणाम है कि अब अधिकांश देशों ने समस्या के बुन्यादी समाधान की ज़रूरत, फिलिसतीनी राज्य के निर्माण की अहमियत, और फ़िलिसतीनी जनता के स्वाधिकार के विषय में बात करना शुरु कर दिया है। हमास एक मज़बूत, प्रभावी सैन्य और राजनीतिक संस्था के तौर पर उभर कर सामने आई है जिसको फ़िलिसतीनी जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है जो घरेलू और विश्व स्तर पर फ़िलिसतीनी जनता की मांगों, और अधिकारों को पेश करने की ज़्यादा क्षमता रखती है। जिसका स्पष्टीकरण कई स्वतंत्र जनमत सर्वेक्षणों में किया गया है।

सम्पूर्ण जंगी जराएम, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बम्बारी, विनाशकारी कार्यवाइयों के बावजूद इस्राईल सियासी या सैन्य सफलता प्राप्त करने में नाकाम रहा, जबकि उसने हमास को ख़त्म करने, कैदियों को रिहा करवा लेने और ग़ज़्ज़ा पर कन्ट्रोल कर लेने का दावा भी कर रखा था, लेकिन वह अपने किसी भी लक्ष्य को पाने में नाकाम है।

वास्तविक रूप से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यहूदी इकाई अन्दुरूनी तौर पर बड़ी कठिनाइयों से घिरी हुई है और कई स्तरों पर टूट फूट का शिकार है उसने वाशिंगटन और यूरोपीदेशों को शीघ्र हस्तक्षेप करने और यहूदी अस्तित्व को मज़बूत सियासी, फौजी और कानूनी रक्षा उपलब्ध कराने पर आमादा किया है। लेकिन यह समर्थन कब्ज़े को सियासी या सैन्य निज़ाम के तौर पर प्रयोग करने के योग्य बनाने में असफल रहा है बल्कि तथ्य यह है कि कब्जे की कमज़ोरी और निर्दयता ने उसके बहुत से सहयोगियों को भी परेशान कर दिया।

फ़िलिसतीनी, अख़लाक़ और इन्सानियत का आला चरित्र ले कर सामने आये जिसके नतीजे में दुनिया के सामने उन्होंने अखलाक़ी जंग जीत ली, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें व्यापक सहानुभूति प्राप्त हुई, जबकि इसके विरुद्ध यहूदियों का मुजरिमाना और भयानक चेहरा

दुनिया के सामने आया जो निहत्थे लोगों पर अत्याचार करते, खास तौर पर औरतों और बच्चों पर बम्बारी, स्कूलों, अस्पतालों की इमारतों को तबाह व बरबाद करते नज़र आये, इस सिलसिले में न उसने जंगी सिद्धान्तों की पाबन्दी की और न विश्वव्यापी क़ानून का लिहाज़ किया।

हमास ने कब्ज़ा करने वाले इस्राईल के मुकाबले कई बड़ी कामयाबियाँ हासिल कीं, उसने इस्राईल को अस्थाई जंग बन्दी कुबूल करने, तबादले की कार्यवाई करने, हिरासती केन्द्रों से दर्जनों बच्चों और महिलाओं को आज़ाद कराने और इमदादी सामान लाने पर मज़बूर किया, फ़िलिसतीनियों की दृढ़ता और प्रतिरोध अन्तर्राष्ट्रीय पोज़ीशन में एक बुनियादी तब्दीली का कारण बनी, जिसने ग़ज़्ज़ा पर शेष कब्ज़े, उसके शासन या बफर ज़ोन की स्थापना को अस्वीकार करने का ऐलान किया।

अल क़स्साम ब्रेग्रेड ने ऐसी बड़ी सैन्य जीत प्राप्त की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया जिसकी वजह से इस्राईल के सैकड़ों लोग हलाक़ और जख़मी हुए और सैकड़ों गाड़ियों को तबाह कर दिया, अल–कस्साम ब्रेगेड ने आपरेशन, कमाण्ड, और कन्ट्रोल को संगठित करने की बड़ी योग्यता का प्रदर्शन किया, उसने इस्राईल की सीमा के अन्दर उनके ठिकानों पर बम्बारी जारी रखी और सैकड़ों गाड़ियों, अफ़सरों सिपाहियों को निशाना बनाने की क्षमता के साथ डाकोमेन्ट्री फोटोग्राफी सुबूत और जानकारी प्रदान की, जिसने उसे बहुत विश्वास पात्र बनाया, जबकि इस्राईल ने हर रोज़ झूटी तस्वीरें, मनगढ़न्त फिल्में और झूटी जानकारी पेश कीं, इस प्रकार उसने स्वयं को दुनिया में मज़ाक का पात्र बनाया।

फिलिसतीनियों ने अपने और अपनी पहचान के विरुद्ध सबसे बड़ी और ख़तरनाक बर्बरियत को नाकाम बना दिया, उन्होंने बड़ी इन्सानी और नागरिक कुर्बानियाँ दीं। 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद और ज़ख़मी हुए, इस प्रकार गज़्ज़ा की कुर्बानियों ने अमरीका समर्थित ''इस्राईल'' के मन्सूबे को तबाह करने में सफलता प्राप्त की।

ग़ज़्ज़ा की पट्टी पर घिनावने इस्राईली आतंकवाद ने तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और क़ानून की सच्चाई और झूट को आशकारा कर दिया, जो नागरिकों के विरुद्ध इस्राईली आतंकवाद के संबंध से खामोश रहे उसने वाशिंगटन और तलअबीब के साथ मिलीभगत से मौजूदा तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के काम की निरर्थकता को स्पष्ट किया, उन्होंने घेराबन्दी तोड़ने, जख़मियों को निकालने, या मानव समुदाय के लिए पानी और दवाओं जैसे ज़रूरी सामान न ला कर केवल खोखले नारे लगाये, इस प्रकार सामान्य नागरिकों के विरुद्ध जालिमाना और मुजरिमाना कृत्य किये, ये संस्थाएं जुल्म व बरबरियत, सिविल संस्थाओं की तबाही और नागरिकों की हत्या के बावजूद इस्राईल की निन्दा करने में असमर्थ रहीं।

साउथ लेबनान में हिज़्बुल्लाह की ओर से की जाने वाली कार्यवाइयों ने कब्जे के विरुद्ध प्रतिरोध में अहम और प्रभावकारी रोल अदा किया। लगभग 200 आपरेशनों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से इस्राईल को भारी नुक़सान उठाना पड़ा।

इसमें कोई शक नहीं कि इस्राईली आतंकवाद भयानक और क्रूर है, लेकिन फ़िलिसतीनियों की दृढ़ता और प्रतिरोध ने एक नये युग के दरवाज़े खोल दिये हैं जो फ़िलिसतीनी लोगों की मांगों और अधिकारों के हक़ में होगा।

आतंकवाद जल्द ही रुक जायेगा और इस्राईल कठिन समस्या में उलझ जाएगा, अक़्सा तूफ़ान ने यहूदी इकाई के अन्दर शानदार कामयाबी प्राप्त की जिस की वजह से प्रतिरोध की जीत और यहूदियों की यक़ीनी पराजय ने आत्म विश्वास और क्षमता का दरवाज़ा खोल दिया।

❖❖❖

स्वास्थ्य

चेहरे को चमकदार और बालों को घना बनाता है: आंवला

डॉ0 शिल्पी त्रिपाठी

बचपन से दादी–नानी के मुँह से आँवले के फायदे और गुणों के बारे में सभी सुनते आ रहे हैं। आँवला बालों को घना बनाने के साथ ही चेहरे को चमकदार रखता है। इन सबके अलावा आँवला कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होता है। सुबह खाली पेट इसे खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके फायदों पर एक नज़र–

त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंदः–

अगर आप लगातार बालों के टूटने और झड़ने से परेशान हैं तो आँवले का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर रौनक नहीं है। चेहरे पर मुंहासे और दाग़ धब्बे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भी खाली पेट आँवले को इस्तेमाल करें। इससे काफी फायदा होगा।

इम्यूनिटी बढ़ाता हैः–

सुबह खाली पेट एक आँवला खाने से शरीर में मौजूद सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो एक ऐंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लगातार सेवन से पेट में इन्फेक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

आँवले में विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, साथी इसके कई औषधीय गुण भी हैं। इसे ठंड में खाने से लाभ मिलता है।

–:आँवले का सेवनः–

कच्चा खाने के अलावा अचार, चटनी, मुरब्बे के रूप में भी खा सकते हैं।

पाचन तंत्र रहता है दुरुस्तः–

आँवले में फाइबर काफी मात्रा में मौजूद होता है। रोजाना आँवले का इस्तेमाल करने से पाचन सही रहता है, कब्ज की समस्या नहीं होती। खाली पेट इसका सेवन करने से आपको नैचुरल लैक्सेटिव वाले गुण मिलते हैं जिससे शरीर में जमा होने वाले सारे टॉक्सिस बाहर निकल जाते हैं। आंवला फ्री रेडिकल्स पाचन तंत्र को मज़बूत बनाने में मददगार होते हैं।

डायबीटीज में राहतः–

आँवले में काफी मात्रा में क्रोमियम पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। आँवले का खाली पेट सेवन करना डायबीटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आँवले में पॉलिफेनल्स होते हैं, जो ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं।

(सीनियर डायटिशन,
पी0जी0आई0, लखनऊ)

❖❖❖

अनुरोध

अगर आपको ''सच्चा राही'' की सेवायें पसन्द हों तो आप से अनुरोध है कि ''सच्चा राही'' के नये ग्राहक बनाने का प्रयास करें, अल्लाह आपको अज्र देगा और हम आपके आभारी होंगे।

(सम्पादक)

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

साल में सिर्फ एक बार रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ की इजाज़त होगी:-

मदीना:- अब मस्जिदे नबवी की जियारत करने वालों को साल के 365 दिनों में सिर्फ एक बार ही रौज़–ए–रसूल (रियाजुल जन्ना) में नमाज़ की इजाज़त होगी, हज और उमरा मंत्रालय ने कहा है कि मस्जिदे नबवी सल्ल0 के रौज–ए–अतहर में नमाज़ के लिए पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी है, विदेशी ज़ायरीन को रौज–ए–अतहर में नमाज़ की अदायगी के लिए ''नुस्क'' और ''तवक्कलना'' (यह दोनों एक ऐप के नाम हैं) से इजाज़त नामा हासिल करना होगा, जिसके अगले 365 दिनों तक उसे दूसरा इजाज़त नामा जारी नहीं किया जायेगा। हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि रौज–ए–रसूल सल्ल0 में प्रवेश की इजाज़त भी सिर्फ़ उन लोगों को होगी जो कोरोना वायरस से प्रभावित न हों।

बैक्टीरिया को दिया टैगोर का नाम:-

विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के रिसर्चर्स ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है। उन्होंने इसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर 'पेंटोइया टैगोरी' रखा है। 'पेंटोइया टैगोरी' मिट्टी से पोटैशियम निकालता है जो पौधों के विकास को बढ़ाता है।

पाक चुनाव में पहली बार हिंदू महिला:-

डॉ0 सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के आम चुनाव में उतरने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। पेशे से डॉक्टर सवीरा (25) ने शुक्रवार को ख़ैबर पश्तूनख्वा के बुनेर में *PK-25* की सामान्य सीट से पर्चा भरा। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्व एक सीट से भी नामांकन किया है। बिलावल भुट्टो की पार्टी *PPP* ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है।

एक करोड़ डॉलर बढ़ाई इनामी राशि:-

ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के अधिकारियों ने 14 जनवरी से मेलबर्न पार्क में शुरु हो रहे साल के पहले ग्रैंडस्लैम की इनामी राशि में एक करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इजाफा करने की घोषणा की है। टूर्नामेंट के डारेक्टर क्रेग टिले ने बताया कि अब इस ग्रैंडस्लैम की इनामी राशि 8 करोड़ 65 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगी। हमने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हर दौर के लिए इनामी राशि बढ़ाई है। महिला और पुरुष चैम्पियन दोनों को 30 लाख 15 हज़ार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिलेंगे।

डेनमार्क की क्वीन ने छोड़ा सिंहासन:-

डेनमार्क की महारानी मार्गरेथ द्वितीय ने नए साल की बधाई देते हुए लाइव टीवी सम्बोधन के दौरान सिंहासन छोड़ने का ऐलान किया। मार्गरेथ 14 जनवरी को पद छोड़ देंगी। वह 83 साल की हैं और 52 साल से डेनमार्क की महारानी हैं। महारानी ने कहा कि राजगद्दी पर उनकी जगह बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेड्रिक बैठेंगे। उन्होंने बताया कि 2023 में हुई सर्जरी के बाद वह पद छोड़ने के फैसले पर पहुंची हैं।

जस्टिस ने कहा-जेल भेजो तो दोषी ने जज को पीट दिया:-

जेल भेजने की सजा सुनाने पर दोषी इस क़दर भड़क गया कि उसने कोर्ट रूम में ही सबके सामने महिला जज को पीटना शुरु कर दिया। जज को बचाने की कोशिश में एक गार्ड भी घायल हो गया। चौंकाने वाली यह घटना अमेरिकी राज्य निवादा के लास वेगास में हुई। 30 वर्षीय डेवबरा डिलोन रेडडेन पर बैट्री चोरी का आरोप था।

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوة العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/02/2024 ________ تاریخ

अहले ख़ैर हज़रात से !

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा, हज़रत मौलाना सैय्यद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी, दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, और उन बहुमूल्य सिद्धान्तों को सीने से लगाए हुए है जिनके लिए नदवतुल उलमा को स्थापित किया गया था यानी नये ज़माने में इस्लाम की प्रभावी और सही व्याख्या, दीन और दुनिया तथा इल्म और रूहानियत को यकज़ा करने की कोशिश, दीन से दूरी और नफ़रत को ख़त्म करने के प्रयास, इस्लाम पर विश्वास और इस्लामी उलूम की बलन्दी और विशेषता के ऐलान, दीने हक़ से वफ़ादारी और शरीअ़त पर मज़बूती से जमने के सिद्धान्तों पर कायम है।

आप से हमारी दरख़्वास्त है कि वक़्त की इस ज़रूरत और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की इफ़ादियत, (उपयोगिता) को समझते हुए पूरी फ़य्याज़ी और फ़राख़दिली और हिम्मत से काम ले कर इन तमाम कामों में भरपूर मदद फ़रमाएं कि हिन्दुस्तान में दीन के क़िलों की हिफ़ाज़त की इससे बेहतर कोई शक्ल और इससे ज़्यादा मज़बूत कोई सदक़–ए–जारिया नहीं।

लिहाज़ा आप हज़रात से गुज़ारिश है कि अपने सदक़ात अतियात, चेक या ड्राफ़्ट के ज़रिये और ऑन लाइन नदवतुल उलमा के निम्नलिखित एकाउन्ट में ट्रान्सफ़र फ़रमायें, ऐसे नाज़ुक और मुश्किल हालात में आपका सहयोग बहुत ही अहमियत रखता है। अल्लाह तआला हम सबकी कोशिशों को क़ुबूल फ़रमाए और उनको हमारे लिए आख़िरत का ज़ख़ीरा बनाए।

आमीन।

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)
WEBSITE: WWW.NADWA.IN
Email : nizamat@nadwa.in

SCAN HERE TO VISIT THE WEBSITE FOR DONATION

नदवतुल उलमा
A/C No. 10863759711 (अतिया)
A/C No. 10863759766 (ज़कात)
A/C No. 10863759733 (तअ़मीर)
SBI MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
ONLINE DONATION LINK
https://www.nadwa.in/donation

UPI करते समय रिमार्क में मद (अतिया/ज़कात/तअ़मीर) अवश्य डालें।

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं **08736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961** के तहत छूट प्राप्त होगी।

Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in